

(डोर मुकाम, जाजरकोट)
अछावे

प.सं. २०७२/७३ च.नं.—

मिति २०७२/०६/१६

विषय: लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ।

श्री स्थानीय विकास अधिकारीज्यू,
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोट ।

महाशय,

त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को राजश्व/धरौटी/विनियोजनको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धित पेश भए सम्मको लेखाको परीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको पाना-५२ (बाउन्न) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसै साथ छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिन भित्र असुल फछ्यौट भएको प्रमाण वा बेरुजु कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए सो समेतको प्रतिक्रिया पठाई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु । समयमा फछ्यौटको प्रमाण वा प्रतिक्रिया प्राप्त नभएमा संलग्न व्यहोरा महालेखापरीक्षकको आगामी वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरा समेत निर्देशानुसार जानकारी गराउंदछु ।

भवदीय

बोधार्थ:

श्री संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं : प्रतिवेदन संलग्न छ ।

(कृष्ण प्रसाद भट्टराई)
निर्देशक

श्री ग्रामिण पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग,
जावलाखेल, ललितपुर । : प्रतिवेदन संलग्न छ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,
जाजरकोट : प्रतिवेदन संलग्न छ ।

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

कार्यालय प्रमुख:- स्था.वि.अ.श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डे
स्था.वि.अ.श्री ज्ञानराज पाण्डे
स्था.वि.अ.श्री दीर्घ वहादुर पोखरेल
लेखा प्रमुख:- लेखा अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा
लेखापाल श्री टंक प्रसाद पंगेनी
लेखापाल श्री जय प्रसाद पाण्डे
लेखापाल श्री प्रेम वहादुर बुढा

कार्यालयको नाम : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोट ।
आ.व. : २०७१/७२

आर्थिक कारोबारको संक्षिप्त स्थिति

(क) विनियोजन तर्फ:

| वजेट उपशिर्षक नम्बर | गतवर्षको जिम्मेवारी | यस वर्षको आम्दानी | जम्मा आम्दानी | खर्च | बांकी |
|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| जि.वि.स.कोष | २६०९६२४३२९ | ६९५६४१७५।३१ | ९५६६०४१८।६० | ७९७२५१९२।६५ | १५९३५२२५।९५ |
| केन्द्रीय अनुदान तर्फ | ०।०० | ४३९९२०३५१।७१ | ४३९९२०३५१।७१ | ४३९९२०३५१।७१ | ०।०० |
| जम्मा | २६०९६२४३२९ | ५०९४८४५२।०२ | ५३५५८०७७०।३१० | ५१९६४५५४।३६ | १५९३५२२५।९५ |

लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन

बजेट उप-शीर्षक नं.: - विभिन्न

कार्यालयको नाम: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, जाजरकोट ।

आर्थिक वर्ष: - २०७१/७२

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|---|---------------------|------------|---|-----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|--|--|---|--|--|---|---|-----------------|-------------|---|---------------|-------------|--|--|---|--|--|---|---|---------|-------------|--|--------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|--|--|
| | | आर्थिक कारोबारको पेश भएसम्मको सेस्ताको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोराको सम्बन्धमा कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीसंग मिति २०७२/०६/१४ मा छलफल गरी कायम रहेका व्यहोराहरु निम्नानुसार छन्: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | परिचय - स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३२ (२) बमोजिम जिल्ला विकास समिति, दाङ्गको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ज्ञ | | आय-व्ययको स्थिति: आ.व.२०७१/७२ को आय-व्ययको स्थिति निम्नानुसार रहेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">क्र.सं.</th> <th style="width: 25%;">आय</th> <th style="width: 15%;">रकम</th> <th style="width: 5%;">क्र.सं.</th> <th style="width: 25%;">व्यय</th> <th style="width: 25%;">रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>गत सालको जिम्मेवारी</td> <td>२६०९६२४३२९</td> <td>१</td> <td>बजेट खर्च नेपाल सरकार</td> <td>४३९९२०३५१/७१०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>नेपाल सरकारको अनुदान</td> <td>४३९९२०३५१/७१०</td> <td></td> <td></td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>०</td> <td>२</td> <td>कोष तर्फको खर्च</td> <td>७९७२५९९२/६५</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>आन्तरिक स्रोत</td> <td>६९५६४९७५/३९</td> <td></td> <td></td> <td>०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>०</td> <td>३</td> <td>मौज्दात</td> <td>१५९३५२२५/९५</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>५३५५८०७०/३९</td> <td></td> <td style="text-align: right;">जम्मा</td> <td>५३५५८०७०/३९</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.सं. | आय | रकम | क्र.सं. | व्यय | रकम | १ | गत सालको जिम्मेवारी | २६०९६२४३२९ | १ | बजेट खर्च नेपाल सरकार | ४३९९२०३५१/७१० | २ | नेपाल सरकारको अनुदान | ४३९९२०३५१/७१० | | | ० | | | ० | २ | कोष तर्फको खर्च | ७९७२५९९२/६५ | ३ | आन्तरिक स्रोत | ६९५६४९७५/३९ | | | ० | | | ० | ३ | मौज्दात | १५९३५२२५/९५ | | जम्मा | ५३५५८०७०/३९ | | जम्मा | ५३५५८०७०/३९ | | | |
| क्र.सं. | आय | रकम | क्र.सं. | व्यय | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | गत सालको जिम्मेवारी | २६०९६२४३२९ | १ | बजेट खर्च नेपाल सरकार | ४३९९२०३५१/७१० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | नेपाल सरकारको अनुदान | ४३९९२०३५१/७१० | | | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ० | २ | कोष तर्फको खर्च | ७९७२५९९२/६५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | आन्तरिक स्रोत | ६९५६४९७५/३९ | | | ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ० | ३ | मौज्दात | १५९३५२२५/९५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ५३५५८०७०/३९ | | जम्मा | ५३५५८०७०/३९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १.१. | | उल्लेखित आय-व्ययमा समावेश शिर्षकहरुको गत वर्षको जिम्मेवारी, यसवर्षको निकास खर्च र बाँकीको अवस्था निम्नानुसार रहेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | सि.नं. | कार्यक्रम | गत वर्षको बाँकी | यस वर्षको आम्दानी | जम्मा | खर्च | बाँकी | पेशकी बाँकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १ | प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोष | ०/०० | ४९००००/०० | ४९००००/०० | ५००००/०० | ३६००००/०० | ०/०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २ | महिला तथा बालबालिका विशेष कोष | ०/०० | ५००००/०० | ५००००/०० | ०/०० | ५००००/०० | ०/०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | | रकम |
|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| ३ | कर्मचारी कल्याण कोष | ७४७१४०१७५ | १३४९७४४१४९ | २०९६८८५१२४ | २०९६०००१०० | ८८५१२४ | ०१०० | |
| ४ | स्थानीय विकास विशेष कोष | ०१०० | २००००१०० | २००००१०० | ०१०० | २००००१०० | ०१०० | |
| ५ | गरिबी निवारण तथा सामाजिक परिचालन | ०१०० | ५००००१०० | ५००००१०० | ०१०० | ५००००१०० | ०१०० | |
| ६ | मानव संसाधन कोष | ७६६६७०१४१ | १०००००१०० | ८६६६७०१४१ | ४५०००१०० | ८२१६७०१४१ | ०१०० | |
| ७ | वातावरण व्यवस्थापन विशेष कोष | ०१०० | ५००००१०० | ५००००१०० | ०१०० | ५००००१०० | ०१०० | |
| ८ | मर्मत संभार कोष | २७५७५९८६६० | ६२२०००१०० | ३३७९५९८६६० | ३३००८८८१०० | ७८७९०१६० | ०१०० | |
| ९ | जिल्ला उर्जा कोष | २४२४६१५१०० | १२६७९९५३९३ | १५१०४५६८९३ | १२१७७०२२८९ | २९२७५४६१०४ | ०१०० | |
| १० | राजश्व बाँडफाँड खाता (ग ४ ४०१) | ३२४९१२६११० | ४५६६७४७६० | ७८१५८७३१७० | ४१९३८२६१०० | ३६२२०४७१७० | ०१०० | |
| ११ | आन्तरिक आम्दानी (ग ४ ३०१) | ३२६६९३६९ | २४९२५१११२९ | २८१९२०४१९८ | २१०५०००१०० | ७१४२०४१९८ | ०१०० | |
| १२ | बैदेशिक खाता ग ४ ५०१ | ७४६८३३५१६५ | १९३१६५८७०० | २६७८४९२२१६५ | २५०५९५२५१७६ | १७२५३९६१८९ | ०१०० | |
| १३ | खुल दिशा मुक्त कार्यक्रम | ०१०० | ८५००००१०० | ८५००००१०० | ८५००००१०० | ०१०० | ०१०० | |
| १४ | भारतीय दुतावास | ०१०० | ९५४७८८८१०० | ९५४७८८८१०० | ९५४७८८८१०० | ०१०० | ८१००००१०० | |
| १५ | कन्टेन्जेन्सी खाता | ०१०० | ४३०७०५६१०० | ४३०७०५६१०० | ४३०७०५६१०० | ०१०० | २७००००१०० | |
| १६ | सडक बोर्ड नेपाल | ६४६५१०० | २२९९६८०१०० | २३०६१४५१०० | २३०६१४५१०० | ०१०० | ०१०० | |
| १७ | राजश्व | ०१०० | ८०८८५४१०० | ८०८८५४१०० | ८०८८५४१०० | ०१०० | ०१०० | |
| १८ | धरौटी | ८३४९५९८१०९ | २८७०९२८१०० | ११२२०५२६१०९ | ५७०५७६२१०० | ५५१४७६४१०९ | ०१०० | |
| १९ | आन्तरिक श्रोत चालु | ०१०० | २०१००००१०० | २०१००००१०० | २०१००००१०० | ०१०० | ०१०० | |
| २० | आन्तरिक श्रोत पुँजीगत | ०१०० | ४३५००००१०० | ४३५००००१०० | ४३५००००१०० | ०१०० | २०००००१०० | |
| २१ | स्थानीय वाल मैत्री शासन | ०१०० | ८१२२२५१०० | ८१२२२५१०० | ८१२२२५१०० | ०१०० | ०१०० | |
| | जम्मा | २६०९६२४३२९ | ६९५६४१७५३१ | ९५६६०४१८६० | ७९७२५१९२६५ | १५९३५२२५१५ | ८५७००००१०० | |
| १.२. | विभिन्न वजेट उपशिर्षकमा नेपाल सरकारको अनुदान तथा विनियोजनतर्फको निकास खर्चको स्थिती निम्नानुसार छ । | | | | | | | |
| सि.नं. | व.उ.शि.नं. | कार्यक्रमको नाम | वार्षिक बजेट | निकास | खर्च | वाँकी | पेशकी वाँकी | |
| ३ | घटछडण्डघ | जि.वि.स.अनुदान चालु | २५९६६०००१०० | २४९३२६९८६० | २४९३२६९८६० | ०१०० | ०१०० | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|-------------|--------------|-------------|
| २ | ३६५८०१३ | जि.वि.स.अनुदान पूँजिगत | २२२८६०००१०० | २०६५०७०७०० | २०६५०७०७०० |
| ३ | ३६५८०४३ | ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम | १२२५०००१०० | १२१२८३२१०० | १२१२८३२१०० |
| ४ | ३६५८१९३ | स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास | १३९६६१००१०० | १३५६२३३३१०० | १३५६२३३३१०० |
| ५ | ३६५९०४३ | स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग | २७३०००१०० | २७३०००१०० | २७३०००१०० |
| ६ | ३४३१०१३ | राष्ट्रिय युवा परिचालन | ६८००००१०० | ६८००००१०० | ६८००००१०० |
| ७ | ३३११२७३ | नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम | ३८४६६०००१०० | ३४९६१९३२१०० | ३४९६१९३२१०० |
| ८ | ३४९८०१३ | स्थानीय शान्ति समिति | ६६००००१०० | ६६००००१०० | ६६००००१०० |
| ९ | ३६५०१५३ | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | ८२२४९८००१०० | ८२१५८१००१०० | ८२१५८१००१०० |
| १० | ३६५८०२३ | गा.वि.स.अनुदान चालु | १३५५६०००१०० | १३५५६०००१०० | १३५५६०००१०० |
| ११ | ३६५८०२३ | गा.वि.स.अनुदान पूँजिगत | ७२१४७०००१०० | ७२१४००००१०० | ७२१४००००१०० |
| १२ | ३९११०५३ | राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक | १९३२००१०० | १९३२००१०० | १९३२००१०० |
| १३ | ३६५८५०३ | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम | २६०००००१०० | २३७०७००६१०० | २३७०७००६१०० |
| १४ | ३६५८४५३ | गरीब संग विश्वेशर कार्यक्रम | ८७३०००१०० | ८७३०००१०० | ८७३०००१०० |
| १५ | ३६५९५०३ | वादी समुदाय उत्थान विकास समिति | २०००००१०० | २०००००१०० | २०००००१०० |
| १६ | ३०८१०९३ | विधुत रोयल्टी | १९४२०००१०० | १९३६१६८१०० | १९३६१६८१०० |
| १७ | ३६५९०६३ | उपेक्षित,उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान | २७५०००१०० | २७५०००१०० | २७५०००१०० |
| १८ | ३२५११३३ | सस्कृति प्रवर्दन कर्यक्रम | १२०००००१०० | ११९५५९९१०० | ११९५५९९१०० |
| १९ | ३२५१०६३ | पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | ३००००००१०० | २८३२७८२१०० | २८३२७८२१०० |
| २० | ३६५९०५३ | आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान | १०००००१०० | १०००००१०० | १०००००१०० |
| २१ | ३५२०११३ | गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड | ४१४००१०० | ४१४००१०० | ४१४००१०० |
| २२ | ६०१०१४३ | संचित विदा | ६८२८४७९२ | ६८२८४७९२ | ६८२८४७९२ |
| २३ | ६०१०१८३ | औषधि उपचार | ९००२८८१०० | ९००२८८१०० | ९००२८८१०० |
| २४ | ३६५८४४३ | साना सिंचाई कार्यक्रम | ४२००००१०० | ४२००००१०० | ४२००००१०० |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|------|-------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | २५ | ३६५८३७४ | साना सिंचाई नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार | ६५०००००१०० | ६१२०२२२१०० | ६१२०२२२१०० | ०१०० | ३९५०००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २६ | ३६५८१९४ | स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास | ३८००००१०० | ३८००००१०० | ३८००००१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २७ | ३६५८०९४ | भोलुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | १४४६७०००१०० | १३७३२३०९१२८ | १३७३२३०९१२८ | ०१०० | २२६००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २८ | ३६५८०४४ | ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम | ४७८००००१०० | ४६८०८५६१०० | ४६८०८५६१०० | ०१०० | १८००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | २९ | ३६५८०८४ | स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम | २४९०००००१०० | १९९३९८७६१०० | १९९३९८७६१०० | ०१०० | ३३००००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३० | ३६५८३१४ | स्थानिय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक | ६००००००१०० | ४६४९००९६१०० | ४६४९००९६१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३१ | ३३७१०७४ | आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक | ६८०६०००१०० | ५७९७१५९१०० | ५७९७१५९१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३२ | ३५२०११४ | गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड | ५००००१०० | ५००००१०० | ५००००१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३३ | ३६५८४४४ | साना सिंचाई कार्यक्रम | ४४००००००१०० | १०८९८३४०१०० | १०८९८३४०१०० | ०१०० | ९५३५०००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३४ | ३६५८१५३ | विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन | ४३३२०००१०० | ४३३२०००१०० | ४३३२०००१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३५ | ३६५८१५४ | विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन | ८१७२००००१०० | ६०५९५५९९१९१ | ६०५९५५९९१९१ | ०१०० | ३३१०५०५१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३६ | ३६५८०७३ | ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | २६०००००१०० | २६०००००१०० | २६०००००१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ३७ | ३६५८०७४ | ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | ८००००००१०० | ८००००००१०० | ८००००००१०० | ०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | जम्मा | ५११८३७६३५१९२ | ४३९९२०३५११७ | ४३९९२०३५११७ | ०१०० | १९४५८२८६१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| द | | | उल्लेखित आय-व्यय विवरणमा वर्तमान विकेन्द्रीत व्यवस्था अनुसार निक्षेपित कार्यक्रमको जिल्ला स्थित (कृषि, शिक्षा र पशु) कार्यालयहरूलाई निकासी दिएको रु.३४०७५८२९६१८० समावेश भएको छैन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घ | | | राजश्व तर्फ <table border="1"> <thead> <tr> <th>शिर्षक</th> <th>असुली</th> <th>दाखिला</th> <th>बांकी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१५१११</td> <td>२८२७२५१००</td> <td>२८२७२५१००</td> <td>०१००</td> </tr> <tr> <td>१५११२</td> <td>५२६९२९१००</td> <td>५२६९२९१००</td> <td>०१००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>८०९६१४०१००</td> <td>८०९६१४०१००</td> <td>०१००</td> </tr> </tbody> </table> | | | शिर्षक | असुली | दाखिला | बांकी | १५१११ | २८२७२५१०० | २८२७२५१०० | ०१०० | १५११२ | ५२६९२९१०० | ५२६९२९१०० | ०१०० | जम्मा | ८०९६१४०१०० | ८०९६१४०१०० | ०१०० | | | | |
| शिर्षक | असुली | दाखिला | बांकी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५१११ | २८२७२५१०० | २८२७२५१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १५११२ | ५२६९२९१०० | ५२६९२९१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ८०९६१४०१०० | ८०९६१४०१०० | ०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ङ | | | बैंक हिसाव : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६० (१)(द) मा अनुसूची २३ को ढाँचामा कार्यालयले प्रत्येक महिना बैंक हिसाव समायोजन विवरण (Bank Reconciliation Statement) तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------|---|---------------------------|---------|--|--------------|-------------------|--|--|--|
| | | कार्यालयको श्रेस्ता अनुसार र बैंक स्टेटमेन्ट विवरण अनुसार आन्तरिक तर्फका तीन खाताको रकम फरक परेकोमा बैंक हिसाव मिलान विवरण तयार गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| छ | | पेशकी सम्बन्धमा :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९१ (१) मा काम काजको निमित्त एक आर्थिक वर्षमा गएको पेशकी रकम सोही आर्थिक वर्षमा फछ्यौट हुन नसकेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो फछ्यौट हुने बांकी रहेको पेशकी रकमको नामनामेसी सहित के, के वापत पेशकी गएको हो सो समेत खुलाई अर्को आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सारी प्रमाणित गर्नुपर्ने र यसरी सारीएको पेशकी यस नियमावली बमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । कार्यालयबाट पेश भएको विवरण अनुसार जि.वि.स.कोष तर्फ गत वर्षको पेशकी जिम्मेवारीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध भएको छैन । आ.व.२०७१।७२ को अन्तसम्म रु.८५७४५६०।०० जम्मा पेशकी बाँकी देखाएकोमा लेखापरीक्षणको अवधि सम्म रु.४५६०।०० फछ्यौट भई बाँकी रु.८५७०००।०० पेशकी फछ्यौट हुन बाँकी देखाएको छ । आ.व. को अन्तमा फछ्यौट नभएको पेशकी स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ र १९० बमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्ने रु. | डछ्ठण्णण्ण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>व.शी.नं.</th> <th>पेस्की लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भारतीय राजदुतावास</td> <td>डांफे कनस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.</td> <td>५६००००।००</td> </tr> <tr> <td>”</td> <td>गाल्वा/खड्का कृष्णा जे.भी.</td> <td>२५००००।००</td> </tr> <tr> <td>आन्तरिक श्रोत पुजीगत</td> <td>कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती</td> <td>२००००।००</td> </tr> <tr> <td>कन्डेन्जेन्सी खर्च खाता</td> <td>कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती</td> <td>२००००।००</td> </tr> <tr> <td>”</td> <td>जिल्ला प्राविधिक कार्यालय</td> <td>७०००।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>डछ्ठण्णण्ण</td> </tr> </tbody> </table> | व.शी.नं. | पेस्की लिनेको नाम | रकम | भारतीय राजदुतावास | डांफे कनस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. | ५६००००।०० | ” | गाल्वा/खड्का कृष्णा जे.भी. | २५००००।०० | आन्तरिक श्रोत पुजीगत | कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती | २००००।०० | कन्डेन्जेन्सी खर्च खाता | कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती | २००००।०० | ” | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | ७०००।०० | | जम्मा | डछ्ठण्णण्ण | | | |
| व.शी.नं. | पेस्की लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भारतीय राजदुतावास | डांफे कनस्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. | ५६००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ” | गाल्वा/खड्का कृष्णा जे.भी. | २५००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आन्तरिक श्रोत पुजीगत | कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती | २००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कन्डेन्जेन्सी खर्च खाता | कार्यक्रम अधिकृत, दल वहादुर घर्ती | २००००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ” | जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | ७०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | डछ्ठण्णण्ण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ट | | धरौटीतर्फ:- गतवर्षको जिम्मेवारी रु.८३४९५९८।०९ र यो वर्षमा प्राप्त भएको रु.२८७०९२८।०० समेत यो वर्ष सम्म रु.११२२०५२६।०९ जम्मा भएकोमा रु.५७०५७६२।०० फिर्ता भई आ.व.को अन्तमा रु.५५९४७६४।०९ धरौटी बाँकी रहेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ठ | | वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति :- कार्यालयले आफुलाई प्राप्त अख्तियारीको सिमाभित्र रही वार्षिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रगति कायम गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षणलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार परिषदले स्वीकृत गरेको ४३६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------------|--------------|--------|------|------------|-------|---------------|----|----|---|---|----|--|--|--|
| | | योजनाहरु स्वीकृत गरेकोमा ३३१ योजनाहरु मात्र सञ्चालन भएको देखियो । स्वीकृत योजनाहरु सञ्चालन नहुँदा लाभग्राहीहरु लाभन्वित हुनवाट वञ्चित हुने देखिन्छ । स्वीकृत योजनाहरु समयमै सम्पन्न गरी लाभग्राहीलाई दिइने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । | | | | | | | | | | | | | | | |
| ड | | तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको: निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(ख) २ अनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पास नगरी तलब भत्ता खर्च लेख्न नपाइने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष तलबी प्रतिवेदन पास नगरी रु.१७८३८६८०।०० तलब खर्च लेखेको देखियो । तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेको सम्बन्धमा यस वर्ष देखि गरिने जनाएको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नगर्नाले बढी खर्च हुने सम्भावना रहन्छ । कार्यालयले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नुपर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | |
| ढ | | दरबन्दी तथा पद पूर्ति: नेपाल सरकारको प्रचलित कानून अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ती गरी कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । आर्थिकवर्ष २०७०।७१ को लागी २१ औं जिल्ला परिषदले स्वीकृत गरेको दरबन्दी निम्नानुसार रहेको छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुसार यो वर्ष कार्यालयले रु. १७८३८६८०।०० तलब खर्च लेखेको छ । स्वीकृत दरबन्दीमा लामो अवधि सम्म करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको र सबै करारका कर्मचारीहरुको सेवा करार एकै पत्रद्वारा नविकरण गरी करारलाई निरन्तरता दिएर कामकाज चलाएको छ । यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । लामो समयसम्म करारमा कर्मचारी नियुक्ती गरी काम काज र जिम्मेवारी दिनाले कामममा जवाफदेही र जिम्मेवारीपन नहुने देखिन्छ । दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति गरी कामकाज संचालन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>स्वीकृत दरबन्दी</th> <th>कार्यरत</th> <th>स्थायी</th> <th>करार</th> <th>ज्यालादारी</th> <th>रिक्त</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>विभिन्न पद ७३</td> <td>६३</td> <td>५८</td> <td>५</td> <td>०</td> <td>१०</td> </tr> </tbody> </table> | स्वीकृत दरबन्दी | कार्यरत | स्थायी | करार | ज्यालादारी | रिक्त | विभिन्न पद ७३ | ६३ | ५८ | ५ | ० | १० | | | |
| स्वीकृत दरबन्दी | कार्यरत | स्थायी | करार | ज्यालादारी | रिक्त | | | | | | | | | | | | |
| विभिन्न पद ७३ | ६३ | ५८ | ५ | ० | १० | | | | | | | | | | | | |
| झण | | भ्रमण अभिलेख नराखेको :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६० (१)(प) मा दैनिक भ्रमण खर्चको अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ । भ्रमणमा खटिने पदाधिकारीहरुको भ्रमण अभिलेख खाता राख्नु | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | पर्नेमा राखेको छैन । अभिलेख नराखनाले वास्तविक भ्रमण खर्च एकिन गर्न सकिदैन । यस सम्बन्धमा कार्यालयले भरपर्दो जवाफ दिएको छैन । भ्रमण अभिलेख राखी खर्चको यथार्थता यकिन गर्नु पर्दछ । | | | |
| ज्ञ | | चौमासिक खर्च अनुपात सम्बन्धमा: लेखापरीक्षणलाई प्राप्त विवरण अनुसार यो वर्ष कार्यालयले विभिन्न शिर्षकमा जम्मा रु.३६८४९९८५८।९० खर्च गरेकोमा तेश्रो चौमासिकमा रु.२९४५६४४८०।९० (५८.२३ प्रतिशत) र आषाढ महिनामा मात्र रु.३३३८३८३८३८३८ (३३.०९ प्रतिशत) खर्च गरेको देखियो । नियमानुसार चौमासिक रुपमा कार्य सम्पन्न गरी खर्च गर्दै जानुपर्नेमा तेश्रो चौमासिकमा मात्र बढी खर्च गर्नु नियम सम्मत देखिएन | | | |
| ज्ञ | | सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन :- आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २९ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएपछि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ४६ औं, ४७ औं र ४८ औं वार्षिक प्रतिवेदन उपर सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई मिति २०६९।०९।१० मा उक्त निर्णय मन्त्रालयमा कार्यान्वयको लागि पठाएको पाइयो । उक्त निर्णय स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि लेखि पठाएको पाइएन । सार्वजनिक लेखाको विषयमा सर्वोच्च संस्थाले गरेको निर्णयलाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन नगर्दा लेखा र लेखापरीक्षणमा देखिएका समस्याहरूमा थप सुधार हुनसक्ने स्थिति देखिदैन । वित्तिय अनुसाशन पालना सुदृढ हुन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । | | | |
| ज्ञ | | आन्तरीक लेखापरीक्षण :- स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३२ (९) मा जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक लेखापरीक्षण आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने उल्लेख छ । स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ५८ (क) मा जिल्ला विकास समितिको आय व्यय र धरौटीको श्रेस्ताको मासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले चौमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको छ । | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | <p>समयमा आ.ले.प. हुन नसकेकोले आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ नभएको अवस्था देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५८ अनुसार निम्न काम भएको नदेखिएकोले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी भएको छ भन्ने आधार देखिएन । नियमावलीले ताकेको समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ गराउन कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ ।</p> <ul style="list-style-type: none"> • जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत विषयगत शाखा गा.वि.स.का आय-व्यय र धरौटीको श्रेस्ता मासिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेमा वार्षिक रुपमा गरेको छ । • गाँउ विकास समितिहरुको बेरुजु लगत राखि सम्परिक्षण गर्ने गरेको पाइएन । <p>स्थानीय निकाय अन्तरगतका कर्मचारीको वार्षिक तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको पाइएन ।</p> | | | |
| ज्ञद्व | | <p>आवधिक योजनाको तयारी :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२(१) मा एक वर्ष भन्दा वढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको गुरु योजना तयार गर्नु पर्ने छ । गुरु योजना तयार गर्दा सम्पूर्ण भाग तथा खण्ड खण्ड गरी कुन काम उपभोक्ता समितिवाट र कुन काम अन्य प्रकृयावाट गराउने हो सो समेत छुट्याई सम्वन्धित निकायाट निर्णय गराउनु पर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले जिल्लाको आवधिक योजना हाल सम्म तयार गरेको देखिएन । योजना तयार नगरेको सम्वन्धमा कार्यालयले सन्तोषजनक जवाफ दिएको छैन । विना योजना कार्यक्रम छान्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने हुंदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन नसकी छनौट भएका योजनाहरुको लगानी खेर जाने देखिन्छ । कार्यालयले गुरु योजना तयार गरी योजनाहरु छनौट गर्नु पर्दछ ।</p> | | | |
| ज्ञछ | | <p>उपभोक्ता समिति :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १५५(१) मा रु.६० लाख सम्मको कार्य उपभोक्ता समितिद्वारा गराउन सकिने उल्लेख छ । उपनियम २ मा उपभोक्ता समितिवाट काम गराउने प्रयोजनका लागि कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रुपमा वर्गीकरण र सूचीकृत गरी लगत अध्यावधिक गर्नु पर्ने र नियम १५६(ख) मा उपभोक्ता</p> | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | समितिहरुले निवेदन दिदा सूचिकृत दर्ता, नविकरण,साधारणसभा तथा वार्षिक कार्यक्रम र वजेटको विवरण समेत सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । नियमालीमा उल्लेख भए अनुसार कार्यालयले उपभोक्ता समूहहरुलाई वर्गीकरण र सूचीकरण गरी लगत राखेको छैन । गठित उपभोक्ता समूहहरु कुन निकायमा दर्ता भई कुन निकायबाट नविकरण गरीएको हो सो समेत खुलेको छैन । यो वर्ष कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार रु.छघण्टटघछठाण को निर्माण कार्य ८७ उपभोक्ता समुहबाट गराएको छ । उपभोक्ता समितिको दर्ता तथा नवीकरण अभिलेख नभएको सम्बन्धमा गत विगत वर्ष देखि यस्तै गर्ने गरेको बताएको छ । उपभोक्ता समिति दर्ता तथा नविकरण नहुंदा कानूनी हैसियत नरहने र कार्यालयबाट रकम लिई कार्य नगरेमा कारवाही गर्ने कानूनी आधार नहुने अवस्था देखिन्छ । नियमले तोके वमोजिम उपभोक्ता समिति परीचालन गर्न कार्यालयको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ । | | | |
| ज्ञट | | आर्थिक कारोवारको निरीक्षण: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २२२(२) मा जिल्ला विकास समितिको सचिवले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहयोग लिई गांउ विकास समितिहरुको आर्थिक कारोवारको कम्तीमा वर्षको १ पटक निरीक्षण गरी सो को प्रतिवेदन गांउ विकास सामिति, जिल्ला विकास समिति र मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यालयले गांउ विकास समितिहरुको निरीक्षण गरेको छैन । निरीक्षण नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले भरपर्दो जवाफ दिएको छैन । निरीक्षण अनुगमन नगर्नाले कामको गुणस्तर र प्रभावकारीता कम हुने देखिन्छ । तसर्थ कार्यालयले नियमले तोके अनुसार निरीक्षण अनुगमन गर्नु पर्दछ । | | | |
| ज्ञठ | | योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन :- जिल्ला विकास समिति अनुदान सञ्चालन मार्गदर्शन २०६७ को बुंदा नं. २८ (१) मा जिल्ला विकास समितिले जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न निर्वाचित पदाधिकारीको व्यवस्था नभएसम्मको लागि एक जिल्ला सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने र बुंदा नं. २८ (४) मा जिल्ला विकास समितिले आफ्ना कार्यक्रमहरुको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्य तालिका | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | <p>वनाई सो को आधारमा नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण अनुगमन मुल्याङ्कन तथा समिक्षा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वुंदा नं. २८(५) मा अनुगमन सम्बन्धि अन्य व्यवस्था जिल्ला विकास समितिबाट तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यालयले रु.छघण्टटघछठाण को लागतमा सञ्चालित ८७ कार्यक्रम तथा योजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरेको छैन । त्यस्तै जांच पास र फर फारक समितिको निर्णय पछि मात्र भुक्तानी गर्नु पर्नेमा सो नगरी भुक्तानी गरेको छ । अनुगमन निरीक्षण नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयबाट स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सकिएन । कार्यालयले अनुगमन निरीक्षण नगर्नाले सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरु कुन अवस्थामा छन्, सरकारी लगानीको उचित ढंगबाट प्रयोग भएको छ, छैन यकिन गर्न सकिएन । प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र अनुगमन तथा पृष्ठपोषणको अभावका कारण सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा गरीएको खर्च संलग्न विल भर्पाई बमोजिम नै खर्च गरी उपलब्धी हासील भयो भनि आस्वस्त हुने अवस्था देखिएन । जिल्ला विकास समितिले नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम सञ्चालित योजनाको अनुगमन सुपरीवेक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनलाई पृष्ठपोषणको रुपमा लिई सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको कार्यक्षमता तथा प्रभावकारीता बृद्धि गर्ने गराउने तर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जनु पर्ने देखिन्छ ।</p> | | | |
| ३८ | | <p>भौतिक परीक्षण :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २१४ मा व्यवस्था भएको जिन्सी निरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय निकायले यस नियमावली बमोजिम लागत खडा गरी राखेको जिन्सी मालसामान के कस्तो अवस्थामा छन् अधिकार प्राप्त अधिकारीले निरीक्षण गरी वा गर्न लगाई प्रतिवेदन लिई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा जिन्सी खाताबाट नमूना छनौटको आधारमा विभिन्न प्रकारका सामानहरुको भौतिक परीक्षण गर्दा ल्यापटप-१३ थान, ग्यास हिटर ४ थान, भ्याकुम क्लिनर -१ थान, मोटरसाइकल-१ थान, फोटोकपी मेशिन-१ थान, फ्रिज-२ थान, इन्भर्टर-३ थान, टेलिफोन सेट-८ थान, स्टील दराज-१९ थान, र फोटोकपि मेशिन -२, स्क्यानर मेशिन -१ थान, प्रोजेक्टर -१ थान, कार्यालयको कामको लागी नै प्रयोग रहेको पाईयो ।</p> | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|-----|--------------|-----|
| ज्ञद | | <p>महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयन :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २०४(१) मा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजूका प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असुल उपर गरी फछ्यौट गर्ने दायित्व अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ । कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुंदा औल्याएको बेरुजूहरुमा खासै सुधार गरेको देखिएन । गत विगतका व्यहोराहरु यस वर्ष पनि दोहोरिएका छन् । कार्यालयले यसमा सुधार गर्दै जाने जनाएको छ । एकै प्रकृतिका व्यहोराहरु वर्षेनी दोहोरिँदै जानाले बेरुजूको अंङ्क बढ्दै जाने देखिन्छ । कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुभावलाई कार्यान्वयन गरी लागू गर्नुपर्दछ ।</p> | | | |
| दृण | | <p>आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम २०२(१) मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट निस्केका बेरुजू वा त्रुटी अन्तिम लेखापरीक्षण हुनुभन्दा अगाडि नै नियमित गराउनु पर्नेमा नियमित गराई वा प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा प्रमाण पेश गरी वा असुल उपर गर्नुपर्नेमा असुल उपर गरी त्यसको प्रमाण संलग्न गरी अद्यावधिक गराई राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी २०७१।४।२९ मा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर कारबाही गरी वेरुजू फछ्यौट गरेको छैन । कार्यालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको सम्बन्धमा भर पर्दा जवाफ दिएको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नाले आन्तरिक नियन्त्रण भएको देखिँदैन । कार्यालयले नियमको पालना गरी आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका वेरुजूहरुमा समयमै फछ्यौट गर्ने परीपाटी बसाली फछ्यौट गर्नुपर्दछ ।</p> | | | |
| दृज्ञ | | <p>हस्तान्तरण :- स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा २९(२) मा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले सम्पन्न भई सकेका आयोजनाहरुको नियमित रेखदेख र मर्मत सम्भार कार्य आफैले गर्ने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वामित्व समेत सम्बन्धित उपभोक्ता समिति सामुदायिक</p> | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | संस्था वा गैर सरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरी दीगो सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष जिल्ला विकास समितिले रु.छुघण्डटघछुठाण्ण को लागतमा सम्पन्न गरेको ८७ योजनाहरु हस्तान्तरण गरेको छैन । यसरी सम्पन्न योजना सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगर्नाले निर्माण कार्य प्रति जन विस्वास कम हुने र परियोजनाको मर्मत सम्भार, रेखदेख कार्यालय र लाभग्राही दुबै पक्षले नगर्ने स्थिति देखिन्छ । कार्यालयले सम्पन्न आयोजनाहरु निर्धारित समयमै हस्तान्तरण गरी लाभग्राही समूहबाट मर्मत रेखदेख र सम्भार गर्ने प्रबन्ध अगाडि बढाउनु पर्दछ । | | | |
| दृद | | जिन्सी सामानको मूल्य नखुलेको :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २१२ (१) मा कार्यालयमा रहेको र खरिद गरी वा हस्तान्तरण भई आएको साहयता वा अन्य कुनै प्रकारबाट प्राप्त हुन आएको मालसामानको विवरण र मूल्य समेत खुलाई माल सामान प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र जिन्सी कितावमा आम्दानी वाधी लगत तयार गरी अध्यावधिक गरी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले पुराना सामानको मूल्य खुलाई राखेको छैन । मूल्य नखुलाएको सम्बन्धमा कार्यालयले भर पर्दो जवाफ दिएको छैन । सामानको मिति, मूल्य र ब्राण्ड नखुलनाले सामानको सही पहिचान गर्न सकिदैन । नियमानुसार सामानको विवरण खुलाई राख्नु पर्दछ । | | | |
| दृघ | | गाउँ विकास अनुदान फ्रिज नगराएको :- स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम ६(६) मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम फ्रिज गर्नुपर्ने भए फ्रिज गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाई दिनुपर्ने छ । यदि फ्रिज गर्नु पर्ने रकम फ्रिज नगराएमा वा फ्रिज गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायमा फिर्ता नपठाएमा उक्त रकम कट्टा गरेर मात्र निकासालिनु पर्ने छ । निकासालिने निकायले पनि रकम कटाएर मात्र निकासालिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७०।७१ मा दिएको अख्तियारीमा समेत खर्च नभएको रकम फ्रिज गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । ३० गाउँ विकास समिति मध्ये आर्थिक वर्ष २०७०।७१ मा एक गा.वि.स.(लह गा.वि.स.) को लेखापरीक्षण भएको छैन भने | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|-------------------------|---|-----------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| | | ठेकेदारको मात्र हित हुनेगरी पट्टा दिएको छ । कम बैंक जमानत राखेर ठेक्का संभौता गर्नाले ठेकेदारले संभौता अनुसार संकलित कर नबुझाएमा उठेको राजश्व प्राप्त गर्न कठिनाई नहुने देखिन्छ । कार्यालयले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । कार्यालयले संभौता बमोजिमको बैंक जमानत राखेपछि मात्र पट्टा दिनु पर्दछ । कम भएको बैंक जमानत थप गर्नुपर्ने अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदारबाट कम भएको बैंक जमानत असुल गर्नुपर्ने रू. | | | | जम्मा | | |
| | ठेक्काको विवरण | ठेकेदारको नाम | कबोल अंक | संभौता मिति | कबोल अंक मध्ये नगद जम्मा गरेको | कबोल अंक मध्ये बैंक जमानत राख्नुपर्ने | राखेको जमानत | घटि बैंक जमानत |
| | जडी बुटी संकलन | पि.निर्माण सेवा खलंगा | ७००७५११०० | २०७१/७२६ | २०००००१०० | ५००७५११०० | ३६०९००१०० | १४००५११०० |
| | | | | | | | जम्मा | १४००५११०० |
| दृष्ट | | <p>मूल्य अभिवृद्धि कर: मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २१ (१) मा म्यादभित्र बुझाउनुपर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा नियमानुसार कर असुल गर्न पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १९(१) मा प्रत्येक महिनाको २५ गते भित्र कर दाखिला गर्नुपर्ने र उपदफा १९(२) मा तोकिएको समयभित्र कर नबुझाएमा वार्षिक १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यालयले निम्न आय ठेक्कामा स्वीकृत गरेको ठेकेदारहरूले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएको देखिएन । मूल्य अभिवृद्धि कर नबुझाएको सम्बन्धमा बुझाउन लगाउने जनाएको छ । राजश्व बुझाउनुपर्ने रकम तोकिएको समयमा नबुझाउनाले राजश्वमा कम हुने देखिन्छ । कार्यालयले नियमानुसार मूल्य अभिवृद्धि कर असुली गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> | | | | | | |
| | ठेक्काको विवरण | ठेकेदारको नाम | कबोल अंक | अभिवृद्धि कर | | | | |
| | हुँगा गिटी वालुवा संकलन | के.टी.निर्माणसेवा खलंगा | ६०३३३३१०० | ७८४३३२९ | | | | |
| | जडी बुटी संकलन | पि.निर्माण सेवा खलंगा | ७००७५११०० | ९९०९७६३ | | | | |
| | | | जम्मा | १६९५३०१९२ | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|--|--|--|
| दृट | | <p>किस्ता असुल नगरेको: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १७० (१) मा स्थानीय निकायले आन्तरिक आय उठाउने कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा असुल गर्नुपर्ने किस्ताको अंक निर्धारण ठेक्का सम्बन्धि सूचना र बोलपत्रमा उल्लेखित असुली कार्यतालिका र अन्य सर्त बमोजिम हुनेछ । यसरी कार्यतालिका बनाउँदा सम्भाव्य समय र भुक्तानी गर्ने किस्ताको समय मिलान भएको र किस्ता बिचको समयान्तर ४ महिना भन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यालयले निम्नानुसारका ठेकेदारहरुबाट आय असुल गर्न बाँकी देखिएकोमा असुल गरेको छैन । किस्ता असुल नगरेको सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छ । संभौतमा तोकिएको अबधि भित्र रकम दाखिला नगर्नाले कार्यालयको आयमा कमि हुने देखिन्छ । कार्यालयले नियमानुसार किस्ता असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> | ६८१७५११०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ठेक्काको विवरण</th> <th>ठेकेदारको नाम</th> <th>कवोल अंक</th> <th>असुल गर्नुपर्ने किस्ता रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हुँगा गिटी वालुवा संकलन</td> <td>के.टी.निर्माणसेवा खलंगा</td> <td>६०३३३३१००</td> <td>१८१०००१००</td> </tr> <tr> <td>जडी बुटी संकलन</td> <td>पि.निर्माण सेवा खलंगा</td> <td>७००७५११००</td> <td>५००७५११००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>६८१७५११००</td> </tr> </tbody> </table> | ठेक्काको विवरण | ठेकेदारको नाम | कवोल अंक | असुल गर्नुपर्ने किस्ता रकम | हुँगा गिटी वालुवा संकलन | के.टी.निर्माणसेवा खलंगा | ६०३३३३१०० | १८१०००१०० | जडी बुटी संकलन | पि.निर्माण सेवा खलंगा | ७००७५११०० | ५००७५११०० | | | जम्मा | ६८१७५११०० | | | |
| ठेक्काको विवरण | ठेकेदारको नाम | कवोल अंक | असुल गर्नुपर्ने किस्ता रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| हुँगा गिटी वालुवा संकलन | के.टी.निर्माणसेवा खलंगा | ६०३३३३१०० | १८१०००१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जडी बुटी संकलन | पि.निर्माण सेवा खलंगा | ७००७५११०० | ५००७५११०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ६८१७५११०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दृठ | | <p>राजश्व समयमा दाखिला नगरेको: आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १३ (१) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र यथास्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता खडा गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यो वर्ष संकलन गरेको अधिकांश राजश्व रकम ऐनमा तोकिएको समयभन्दा लामो समय वितेपछि मात्र बैंकमा दाखिला गरेको छ । राजश्व समयमा दाखिला नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले खासै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । संकलन गरेको राजश्व समयमै दाखिला नगर्नाले राजश्व रकम हिनामिना हुने सम्भावना रहन्छ । कार्यालयले संकलन भएको राजश्व समयमै बुझाउने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । राजश्व समयमा दाखिला नगरेका केही उदाहरणहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>रसिद नम्बर</th> <th>रसिद काटिएको मिति</th> <th>बैंक दाखिला मिति</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | रसिद नम्बर | रसिद काटिएको मिति | बैंक दाखिला मिति | रकम | | | | | | | | | | | | | | | |
| रसिद नम्बर | रसिद काटिएको मिति | बैंक दाखिला मिति | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|------------|--------------|-----------------|-----|--------------|-----|
| | | ४७३ | २०७१/११/११ | २०७२/२/३२ | २५००.०० | | | |
| | | ४७४ | २०७१/११/१५ | ” | ५००.०० | | | |
| | | ४७५ | २०७१/११/२० | ” | १०००.०० | | | |
| | | ४७६ | २०७१/११/२० | ” | १०००.०० | | | |
| | | ४७७ | २०७१/११/२९ | ” | ७००.०० | | | |
| | | ४७८ | २०७१/११/२९ | ” | १०००.०० | | | |
| | | ४७९ | २०७१/१२/२४ | ” | ५००.०० | | | |
| | | ४८० | २०७१/१२/२७ | ” | ७००.०० | | | |
| | | ४८१ | २०७२/१/८ | ” | १०००.०० | | | |
| | | ४८२ | २०७२/१/८ | ” | १०००.०० | | | |
| | | ४८३ | २०७२/१/८ | ” | २५००.०० | | | |
| | | ४८४ | २०७२/१/८ | ” | १०००.०० | | | |
| | | | | जम्मा | १३४००.०० | | | |
| | | जिल्ला उर्जा कोष तर्फः | | | | | | |
| दृड | | <p>संभौता वेगर भुक्तानी: कार्यालयले यो वर्ष निम्नानुसारका लघु जलविद्युत लगानी आयोजनाहरुलाई कुनै संभौता, लागत अनुमान, रनिङ्ग विल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन वेगर म्याचिङ्ग फण्ड बापत निम्नानुसारको रकम भुक्तानी दिएको छ । संभौता वेगर भुक्तानी गरेकोले उक्त आयोजनाको कुल लागत कति हो, कहिले शुरु भएर कहिले कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने हो, उक्त आयोजनामा कार्यालयले पहिला कति रकम दिएको थियो, कुल लागतमा उपभोक्ताले आफ्नो योगदान वरावरको रकम व्यहोरेको छ वा छैन स्पष्ट हुने प्रमाण पेश भएन । संभौता वेगर भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । संभौता, लागत अनुमान र कार्य सम्पन्न वेगर भुक्तानी गर्नाले वास्तविक आयोजनामा काम नहुन सक्ने तथा रकम हिनामिना हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यालयले लागत अनुमान अनुसार संभौता गरेर तथा रनिङ्ग विल वा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएपछि</p> | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|--------------|-----|
| | | मात्र भुक्तानी दिनु पर्दछ । लागत अनुमान,संभौता, रनिङ्ग वील वा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । | | | | | | |
| | | व.उ.शी.नं. | भौ.नं.मिति | आयोजनाको नाम | म्याचिङ्ग फण्ड भुक्तानी रकम | थप विवरण | | |
| | | जिल्ला उर्जा कोष | ४-२०७१/६/४ | सेपुखोला लघु जलविद्युत लगानी आयोजना | ४०००००.०० | | | |
| | | " | ९-२०७१/६/४ | गग्रा खोला लघु जलविद्युत लगानी आयोजना | ३०००००.०० | | | |
| | | " | १०-२०७१/६/४ | आयरी खोला लघु जलविद्युत लगानी आयोजना | ४०००००.०० | | | |
| | | " | ११-२०७१/६/४ | भित्री खोला लघु जलविद्युत लगानी आयोजना | २०००००.०० | | | |
| | | | | जम्मा | १३०००००.०० | | | |
| दृढ | | अन्य कार्यालयको खर्च: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ को नियम ४५(२)(क) मा रकम स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित खर्च शिर्षकमा पर्दछ र खर्च गर्न बाँकी छ भने मात्र खर्चगर्न पाउने उल्लेख छ । नमुना छनौटको आधारमा लेखापरीक्षण गर्दा निम्नानुसार छुट्टै अस्तित्व र बजेट व्यवस्था भएका देहायनुसारका जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयको खर्च यस कार्यालयले व्यहोरेको पाइयो । | | | | | | |
| | | व.शि.नं. | भौ.नं. मिति | कार्यालयको नाम | भुक्तानी रकम | थप विवरण | | |
| | | जिल्ला उर्जा कोष | १२-२०७१/१०/९ | जिल्ला अदालत | १०००००.०० | सोलार पाता र ब्यङ्गि जदान | | |
| | | " | " | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | ५५०००.०० | सोलार पाता र ब्यङ्गि जदान | | |
| | | जिविस अनुदान पुँजीगत | २२५-२०७२/३/३१ | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | ७७०००.०० | नागरिकता ९६६ ५पाई | | |
| | | " | " | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | २३०००.०० | नागरिकता ९६६ मर्मत | | |
| | | " | " | नगरविकास समिति, खलंगा | २०००.०० | फर्निचर खरीद | | |
| | | | | जम्मा | २५७०००.०० | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|-----------|--------------|-----|
| | | यसरी छुट्टै अस्तित्वका अन्य कार्यालवाट भएको खर्च कार्यालयवाट व्यहोर्दा यस कार्यालयको बजेट व्यवस्थापनमा चाप पर्ने, कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहमा असर पर्ने र अख्तियारीको सिमा भित्र नपर्ने अवस्था देखिन्छ, यस्तो खर्चको कारण कार्यालयको बजेट प्रणालीमा असर पर्ने देखिन्छ । नियमानुसार नभएको यस्तो खर्च गर्न नपाईने देखिएको रु. | २५७०००.०० | | |
| | | सडक बोर्ड | | | |
| घण | ६-२०७२/३/२५ | हर्जना नलगाएको: कार्यालयले यो वर्ष पाँचकटिया ब्याउली हुँगा सडक क्षेत्र नियमित मर्मत कार्यको लागी मातृभूमी निर्माण सेवासंग मिति २०७२।२।१३ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी मिति २०७१।१।१३ मा रु.९८४९७८।४४ मा ठेक्का संभौता गरेकोमा २०७२।३।१९ मा अर्थात ३७ दिन ढिलो गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेकोमा रु.९४६४९९।०० भुक्तनी दिएको छ । उक्त निर्माण व्यवसायीसंगको संभौताको Special Condition No. 6.4 Liquidity Damage for Delay मा 0.05% of the contract price per day upto a maximum of 10% of sum stated in the Agreement भन्ने उल्लेख भएकोमा कार्य सम्पन्न गर्न ढिला भएको ३७ दिनको हर्जना लगाएको छैन । हर्जना नलगाएको सम्बन्धमा कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । कार्य सम्पन्न गर्न ढिला गर्ने ठेकेदारलाई संभौतामा उल्लेख गरे अनुसारको दरमा हर्जना लगाउनु पर्दछ । सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीवाट असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने हर्जना रकम रु. | १७५४९.३३ | | |
| घञ | | वीमा नगराएको: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११२ (१) मा खरिद सम्भौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्री, प्रयोग गरिने मेशिन, औजार वा प्लाण्ट लगायत निर्माण कार्यको अनिवार्य वीमा गराउनु पर्ने उल्लेख छ । कार्यालयले यो वर्ष पाँचकटिया ब्याउली हुँगा सडक क्षेत्र नियमित मर्मत कार्यको लागी डाँफे विल्डर्ससंग मिति २०७२।२।१३ सम्म सम्पन्न गर्नेगरी मिति २०७१।१।१३ मा रु.१६०७६५१ मा ठेक्का संभौता गरेको मा उक्त निर्माण कार्यको वीमा गराएको छैन । वीमा नगराएको सम्बन्धमा कार्यालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । वीमा नगराउनाले समग्र निर्माण कार्य, निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई क्षति हुन गएमा त्यसको | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|--------------------|----------------|----------------------|--|----------------|--------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|---------------------|--------------|-------------|--|--|-------------|--|---|--------------|---------------|--|--|-------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | | जोखिमको पुर्ति हुन नसक्ने देखिन्छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहन वीमा गराएर मात्र कार्य गर्न पर्दछ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घट्ट | | बढी भुक्तानी: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली, २०६४ को ४६ (६) मा कुनै रकमको भुक्तानी दिंदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष निम्नानुसारको भुक्तानी गर्दा संभौता भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ । बढी भुक्तानी गर्नाले अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न बजेट अपुग हुन्छ । बढी भुक्तानी भएको सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ज्ञघण्णण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>व.शि.नं.</th> <th>भौ.नं. मिति</th> <th>भुक्तानी पाउने निकाय</th> <th>भुक्तानी दिनुपर्ने</th> <th>भुक्तानी दिएको</th> <th>बढी भुक्तानी</th> <th>थप विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जिविस कोष पुँजीगत</td> <td>६०-२०७२/३/२३</td> <td>अन्तरपार्टी महिला संजाल</td> <td>९००००.० ०</td> <td>९६०००.० ०</td> <td>६०००.० ०</td> <td></td> </tr> <tr> <td>आतरिक श्रोत पुँजीगत</td> <td>२३-२०७२/१/१०</td> <td>मजकोट गाविस</td> <td></td> <td></td> <td>४०००.० ०</td> <td>वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था नभएको कन्डेन्जेन्सी रकम निकास</td> </tr> <tr> <td>”</td> <td>६०-२०७२/३/२३</td> <td>खगेनकोट गाविस</td> <td></td> <td></td> <td>३०००.० ०</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">जम्मा</td> <td></td> <td></td> <td>१३०००.० ०</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | व.शि.नं. | भौ.नं. मिति | भुक्तानी पाउने निकाय | भुक्तानी दिनुपर्ने | भुक्तानी दिएको | बढी भुक्तानी | थप विवरण | जिविस कोष पुँजीगत | ६०-२०७२/३/२३ | अन्तरपार्टी महिला संजाल | ९००००.० ० | ९६०००.० ० | ६०००.० ० | | आतरिक श्रोत पुँजीगत | २३-२०७२/१/१० | मजकोट गाविस | | | ४०००.० ० | वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था नभएको कन्डेन्जेन्सी रकम निकास | ” | ६०-२०७२/३/२३ | खगेनकोट गाविस | | | ३०००.० ० | | | | जम्मा | | | १३०००.० ० | | | | |
| व.शि.नं. | भौ.नं. मिति | भुक्तानी पाउने निकाय | भुक्तानी दिनुपर्ने | भुक्तानी दिएको | बढी भुक्तानी | थप विवरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जिविस कोष पुँजीगत | ६०-२०७२/३/२३ | अन्तरपार्टी महिला संजाल | ९००००.० ० | ९६०००.० ० | ६०००.० ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| आतरिक श्रोत पुँजीगत | २३-२०७२/१/१० | मजकोट गाविस | | | ४०००.० ० | वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था नभएको कन्डेन्जेन्सी रकम निकास | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ” | ६०-२०७२/३/२३ | खगेनकोट गाविस | | | ३०००.० ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | | | १३०००.० ० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घघ | | भ्रमण खर्च भुक्तानी: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८९ (२९) मा यस नियमावली वमोजिम पाउने सुविधा लिने प्रयोजनका लागि भुठा विवरण पेशगरी भुक्तानी लिएको ठहरेमा भुठा विवरण पेश गरी भुक्तानी लिएको रकमको दोब्बर रकम स्थानीय निकायको सेवामा भए पाउने तलबबाट कट्टागरी लिईनेछ । कट्टा नगरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले त्यस्तो कट्टा नगर्ने कर्मचारीको तलबबाट कट्टागरी लिईनेछ । कट्टा नगरेमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले त्यस्तो कट्टा नगर्ने कर्मचारीको तलब समेतबाट असुल उपर गर्नुपर्नेछ र निजलाई विभागिय कारवाही समेत गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो वर्ष कार्यालयले जिविस कोष पुँजीगत खाताबाट निम्न कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर भएको अवस्थाको दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो । कार्यालयमा हाजिर भएको अवस्थामा काज देखाई भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । कार्यालयमा हाजिर भएको अवस्थामा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|-----|
| | | काज देखाई भ्रमण भत्ता भुक्तानी गर्नाले खर्चमा विश्वासनियता देखिएन । नियम विपरित भुक्तानी भएको दैनिक भ्रमण भत्ता असुल गर्नुपर्ने रु. | | | | | टडण्णण | | |
| | | भौ.नं. | मिति | भ्रमण अवधि | भ्रमण गरेको स्थान | नामथर | भुक्तानी रकम | | |
| | | २६ | २०७१.६.६ | २०७१.५.२७ २०७१.५.२९ | दा.दागाउ., लह, कालीमादी | लेखा अधिकृत श्री कृष्णा प्रसाद शर्मा | २९००.० | | |
| | | ” | ” | २०७१.४.३० २०७१.५.२ | पुनमा, भुर गाविस | लेखा अधिकृत श्री कृष्णा प्रसाद शर्मा | ३९००.०० | | |
| | | | | | | जम्मा | ६८००.० ० | | |
| घट्ट | | प्रमाण वेगर भुक्तानी: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली १५५(५)(घ) मा उपभोक्ता समितिले गरेका निर्माण कार्यको नापी कितावको आधारमा किस्ता भुक्तानी दिने तथा अन्तिम कार्य सम्पन्न फारम र नापी कितावको आधारमा अन्तिम भुक्तानी दिईने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष आन्तरिक श्रोत पुँजीगतबाट निम्नानुसारका उभोक्ता समितिलाई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गरेकोमा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र प्रगति विवरण समेत राखेको छैन । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकोले वास्तवमा कार्य भएकै छ भन्न सकिएन । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन लिएर कार्य भएको नभएको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्दछ । | | | | | | | |
| | | व.शि.नं. | भौ.नं. मिति | लक्षित समूहको नाम | भुक्तानी रकम | कैफियत | | | |
| | | जिविस पु.जीगत | अनुदान ११७- २०७२/३/१ | नमूना लक्ष्मी महिला कृषक समूह | १५००००।०० | कार्य सम्पन्न र प्रतिवेदन नरहेको | | | |
| | | | १२१- २०७२/३/१ | आदीवासी जनजाती स.३ | १०००००।०० | कार्य सम्पन्न र प्रतिवेदन नरहेको | | | |
| | | | १२८- २०७२/३/२ | आदीवासी जनजाती | ४८०००।०० | कार्य सम्पन्न र प्रतिवेदन नरहेको | | | |
| | | | १३०- २०७२/३/२ | आदीवासी जनजाती | ४८०००।०० | कार्य सम्पन्न र प्रतिवेदन नरहेको | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----|--------------|-----|
| | | १४७- २०७२/३/१ ८ | नेपाल राष्ट्रिय प्राविं | ४००००१०० | कार्य सम्पन्न र प्रतिवेदन नरहेको | | | |
| | | | जम्मा | ३८६०००१०० | | | | |
| घछु | | आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यहोरा: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि नियमावली २०६४ को नियम २०२ वमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षबाट देखिएका निम्नानुसारका वेरुजुहरु सोहि नियमावली वमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको: | | | | | | |
| | | व.शि.नं. | वेरुजु व्यहोरा | रकम | थप व्यहोरा | | | |
| | | सदक बोर्ड | सदक हेरालु लाई बरी भुक्तानी: | | बरी भुक्तानी असूल गर्नुपर्ने | | | |
| | | | दिल बिर सुनार | ६०००१०० | | | | |
| | | | दल वहादुर विकं | २३३७५१०० | | | | |
| | | | मोहन खत्री | १४८७०१०० | | | | |
| | | | भविलाल बुश | ११९००१०० | | | | |
| | | मर्मत स.भार | खापांसदेका वहादुर सि.हलाई बरी भुक्तानी | ५४९६१०० | बरी भुक्तानी असूल गर्नुपर्ने | | | |
| | | कर्मचारी कल्याण कोष | कर्मचारीहरुलाई सापदी दिएको रुद्रदृष्टघटाण, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली दृष्टद को नियम छद्र वमोजिम विनियम वनाई नियमित गर्नुपर्ने । | | | | | |
| | | केन्द्रीय अनुदान तर्फ | | | | | | |
| घट | | विषयगत कार्यालयको निक्षेपित वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी: स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा ४५ (१) घ मा विषयगत कार्यालय वा अन्य निकायको नाममा स्थानीय विकास कोषमा प्राप्त रकम स्थानीय विकास अधिकारीले सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी अख्तियारी एवं निकास दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला विकास समितिलाई विषयगत कार्यालयको लागि वजेट खर्च गर्ने निम्नानुसार मन्त्रालयबाट सम्बन्धित कार्यालयको लागि अख्तियारी प्राप्त भएकोमा | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|
| | | कार्यालयले कार्यविधि वमोजिमा उल्लेख गरिएका कार्यालयलाई स्वीकृत कार्यक्रम संलग्न गरी वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पठाएको पाइएन । | | | | | |
| | व.उ.शी.नं. | जि.स.स.ले अख्तियारी प्राप्त गरेका मन्त्रालय | विषयगत कार्यालय | वार्षिक वजेट | निकास खर्च | | |
| | ३५००१६३ | शिक्षा मन्त्रालय | जिल्ला शिक्षा कार्यालय | २८९४९३५५७.०० | २८९४९३५५७.०० | | |
| | ३१२८०२३ | कृषि मन्त्रालय | जिल्ला कृषि विकास कार्यालय | २७००००००.०० | २५६४७१७२.८० | | |
| | ३१२८०३३ | कृषि मन्त्रालय | जिल्ला कृषि पशुसेवा कार्यालय | २५७०००००.०० | २५६९७५६७.०० | | |
| | | | जम्मा | ३४२९९३५५७.०० | ३४०७५८२९६.८० | | |
| | | स्वीकृत गरेको कार्यक्रम सहित अख्तियारी नपठाउनुमा कार्यविधि तथा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रति कार्यालय उदासिन रहेको देखिन्छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट अख्तियारी नदिएको कारण विषयगत कार्यालयलाई ग समूहको खाताबाट कारोवार गर्नु परेको र भूक्तानी केन्द्र समेत थप हुन गई एउटै कारोवारलाई ख सका समूहको वैक खाताबाट चौमासिक निकास लिई ग समूहको खातामा रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने गरेको छ । निक्षेपित कार्यालयलाई अख्तियारी दिई पूर्ण रुपमा एकल कोष लेखा पद्धतीद्वारा रकम निकास खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस प्रकार जिल्ला विकास समितिले आफुलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वमोजिम वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी नदिई तर वजेट कार्यान्वयन भने हुनु आफैमा विरोधाभास देखिन्छ । कार्याविधीको पालना नगर्ने पद्धतीले भए गरेका कार्यहरू नियम संगत देखिएन । | | | | | |
| घठ | | हेभि मेसिन प्रयोग : स्थानीयनिकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १५५ (५भ) मा बढी जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएको र मेशिनरीको बढी प्रयोग हुने काम बाहेक सामान्यतया श्रम प्रधान प्रविधि अपानाइने आयोजना वा कार्यक्रम मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी नियम १५५ (५) मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम ठेकेदारबाट गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । विभिन्न बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत यो वर्ष संचालित मध्ये नमुना छनौटको रुपमा परीक्षण गरिएका विभिन्न सडक योजनाहरू संचालन गर्न हेभी मेसिन प्रयोग गर्ने गरी लागत अनुमान तयार गरी हेभी मेशिन (स्काभेटर) प्रयोग गरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गरे | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---|------------|------------------|-------------|----------|--|---------|--------------------------|--------|--------|--|---------|-------------------|---------|------------|------------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------------------|---------|------------|--|---------|----------------------------|-----------|-----------|--|--|--------------------------|---------|--------|--|--|----------------|------------|-----------|--|--|----------------|-----------|----------|--|--|----------------------|-----------|-----------|--|--|-------|-------------|------------|--|--|--|--|
| | | गराएको पाइयो । नियममा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट हुने काम हेभी मेशिन प्रयोग गरी कार्य गराएबाट स्थानीयश्रोत साधन र श्रमशक्तिको उपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वातावरणमैत्री निर्माण कार्य गरी विकासका अवरोधहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा वाञ्छित उपलब्धी हासिल नहुने अवस्था छ । तसर्थ नियममा व्यवस्था भए बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्यहरुमा हेभी मेशिनको प्रयोगलाई निरुत्साहीत गरी वातावरण र रोजगारमैत्री निर्माण कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एक्सामेटरद्वारा सडक खन्नेकामका केही उदाहरण देहाय अनुसार छन् | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>व.उ.शी.नं</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>खर्च रकम</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३६५८५०३</td> <td>स्याउली स्याल टाकुरा सडक</td> <td>८७५५६८</td> <td>६८९०७१</td> <td></td> </tr> <tr> <td>३३७१०७४</td> <td>सुएडा सामालेख सडक</td> <td>३४७७९१५</td> <td>२७०७५८८,६१</td> <td>३ वउशिनंवाट खर्च</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ढिमे पैक वेहुलीदुङ्गा जुम्ला सडक</td> <td>६०७२४१.०७</td> <td>५९९१९६.९३</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>छेडा सीमा थालारैकर सडक</td> <td>६२८८८५.४५</td> <td>२५२०८०.६३</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>छेप्का कैनी किटेनी सडक</td> <td>६२६३१८.६९</td> <td>३४३०५८.५५</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>थलह चलोपोले पजारु सडक</td> <td>२५६८८५३</td> <td>१८९३०२४.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>३६५८०१४</td> <td>खलंगा कापलचौर भैसेखर्क सडक</td> <td>८७५९८७.००</td> <td>८७५९८७.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ढिमे पैक गाविस जोडने सडक</td> <td>११८८२३३</td> <td>८१७५९६</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>छाना मजकोट सडक</td> <td>१५००११३.००</td> <td>९६६५६६.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>छेडा कचाली सडक</td> <td>८१९२२४.००</td> <td>७२११५.१९</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>लामातारा शिवपुरी सडक</td> <td>५६८७५६.००</td> <td>५६५९१३.००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>१३७३७०९४.२१</td> <td>१०४३१२५७.३</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | व.उ.शी.नं | योजनाको नाम | लागत अनुमान | खर्च रकम | | ३६५८५०३ | स्याउली स्याल टाकुरा सडक | ८७५५६८ | ६८९०७१ | | ३३७१०७४ | सुएडा सामालेख सडक | ३४७७९१५ | २७०७५८८,६१ | ३ वउशिनंवाट खर्च | | ढिमे पैक वेहुलीदुङ्गा जुम्ला सडक | ६०७२४१.०७ | ५९९१९६.९३ | | | छेडा सीमा थालारैकर सडक | ६२८८८५.४५ | २५२०८०.६३ | | | छेप्का कैनी किटेनी सडक | ६२६३१८.६९ | ३४३०५८.५५ | | | थलह चलोपोले पजारु सडक | २५६८८५३ | १८९३०२४.०० | | ३६५८०१४ | खलंगा कापलचौर भैसेखर्क सडक | ८७५९८७.०० | ८७५९८७.०० | | | ढिमे पैक गाविस जोडने सडक | ११८८२३३ | ८१७५९६ | | | छाना मजकोट सडक | १५००११३.०० | ९६६५६६.०० | | | छेडा कचाली सडक | ८१९२२४.०० | ७२११५.१९ | | | लामातारा शिवपुरी सडक | ५६८७५६.०० | ५६५९१३.०० | | | जम्मा | १३७३७०९४.२१ | १०४३१२५७.३ | | | | |
| व.उ.शी.नं | योजनाको नाम | लागत अनुमान | खर्च रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६५८५०३ | स्याउली स्याल टाकुरा सडक | ८७५५६८ | ६८९०७१ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३३७१०७४ | सुएडा सामालेख सडक | ३४७७९१५ | २७०७५८८,६१ | ३ वउशिनंवाट खर्च | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ढिमे पैक वेहुलीदुङ्गा जुम्ला सडक | ६०७२४१.०७ | ५९९१९६.९३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | छेडा सीमा थालारैकर सडक | ६२८८८५.४५ | २५२०८०.६३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | छेप्का कैनी किटेनी सडक | ६२६३१८.६९ | ३४३०५८.५५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | थलह चलोपोले पजारु सडक | २५६८८५३ | १८९३०२४.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३६५८०१४ | खलंगा कापलचौर भैसेखर्क सडक | ८७५९८७.०० | ८७५९८७.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ढिमे पैक गाविस जोडने सडक | ११८८२३३ | ८१७५९६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | छाना मजकोट सडक | १५००११३.०० | ९६६५६६.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | छेडा कचाली सडक | ८१९२२४.०० | ७२११५.१९ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | लामातारा शिवपुरी सडक | ५६८७५६.०० | ५६५९१३.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | १३७३७०९४.२१ | १०४३१२५७.३ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| घड | | <p>पाइप खरिद: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली २०६४ को नियम ६५(क) मा माल सामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ६३ संग सम्वन्धित स्पेशिफिकेशनको अधिनमा रही सम्वन्धीत स्थानीय निकाय वा स्थानीय निकाय रहेको जिल्लाका अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अधिल्ला वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो जिल्लामा खानेपानी पाइप HDPE खरिद गर्ने तथा प्रयोगमा ल्याउने विषयगत कार्यालय खानेपानी तथा</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | सरसफाई सब डिभिजन रहेको छ । उक्त कार्यालयले यसै आर्थिक वर्षमा खानेपानी पाइप HDPE प्रति केजी रु.२१४१- का दरले लागत अनुमान गरी बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिपर्धा गराई गुणस्तरयुक्त पाइप लागत अनुमानमा समावेश भएको मूल्य भन्दा घटीमा खरिद गरेको छ । जिविसले खानेपानी योजनाको लागि पाइपको लागत अनुमान गर्दा नियममा व्यवस्था भए वमोजिम खानेपानी तथा सरसफाई सब डिभिजन कार्यालयले निर्धारण गरेको दरलाई आधार नवनाई जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको प्रतिकेजी रु.२५० को दरवाट लागत अनुमान तयार गरी सो काम उपभोक्ता समितिलाई दिइ गराएको छ । नियमावलीको सो व्यवस्थालाई मनन नगरी लागत अनुमान तयार गर्दा प्रति केजी रु.३४ वढी पर्न गई अतिरिक्त व्यभार परेको छ । नमूना परीक्षणमा परेका योजनाको लागत अनुमान तुलाना गर्दा थप व्ययभार परेका कार्यक्रमको विवरण देहाय अनुसार रहेको छ । | | | |
| | व.उ.शि.नं | योजना संख्या | विभिन्न साइजका पाइप आपूर्ति (मिटरमा) | पाइपको तौल (केजी) | थप व्ययभार परेको रकम |
| | ३३११२७३ | १ | ४७७.३१ | ४७७.३१ | १६२८.७७ |
| | ३६५८५०३ | १ | २१८७ | ७००.७५४ | २३८२५.६ |
| | ३६५८५०३ | नखुलेको | १३४०५ | १५३५.६६ | ५२२१२.४ |
| | ३६५८०४४ | १ | १२९७७ | २८६३.३५४ | ९७३५४.०४ |
| | ३६५८०७४ | ३ | ११२७६.१ | २०४०.५७ | ६९३७९.४० |
| | | जम्मा | ४०३२२.४१ | ७६१७.६४८ | २४४४००.२१ |
| | | उपभोक्तावाट खरिद भएका पाइपहरु गुणस्तरयुक्त भए नभएको परिक्षण पनि हुने गरेको पाइएन । यस प्रकार जिल्ला भित्रका सार्वजनिक निकाय विच लागत अनुमान तयार गर्ने आधार एउटै भएतापनि फरक फरक दरको प्रयोगले जिल्ला विकास समितिले HDPE पाइप वापतको काममा रु. थप व्ययभार व्यहोर्नु परेको छ । मितव्ययी ढंगवाट कार्यक्रम संचालन गर्ने तर्फ ध्यान नदिनु यसको कारण रहेको छ । यस प्रकार थप आर्थिक व्ययभार परेको सम्बन्धमा जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । थप व्ययभार पर्ने गरिएको लागत अनुमानवाट भएको खर्च नियमसंगत नदेखिएको रु. | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| घट | | <p>उपभोक्ता समितिबाट भएको कार्य : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४को नियम १५५मा उपभोक्ता समिति बाट काम गराउदा निम्न व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।</p> <ol style="list-style-type: none"> १. उप-नियम २मा स्थानीय निकायले उपभोक्ता समितिलाई विषयगत रुपमा वर्गीकरण र सूचिकृत गरी उनिहरुको लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने । २. उप-नियम ५(ग) मा उपभोक्ता समितिलाई पेशकी दिनुपर्दा कार्यतालिका प्राप्त गरेर पेशकी दिनु पर्ने । ३. उप-नियम ५(घ)मा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउदा स्थानीय व्यक्ति मध्ये पुरा ज्यालामा काम गर्ने, कम ज्यालामा काम गर्ने वा ज्यालै नलिई काम गर्नेहरुको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्ने । ४. उप-नियम ५(ज)मा उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य सम्पन्न भए पछि सो को रेखदेख मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकिएको आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने । ५. उप-नियम ५(झ)मा जटिल प्राविधिक पक्ष समेत समावेश भएको र मेसिनरी बढि प्रयोग हुने काम बाहेक श्रम प्रधान प्रविधि अपनाईने आयोजना वा कार्यक्रममात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्ने । ६. स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९को दफा २५(१४)मा उपभोक्ता समितिले आफूले पत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना अनुसूची १३ बमोजिम सार्वजनिक गर्नुको साथै सम्बन्धित उपभोक्ता र स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । <p>कार्यालयले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउदा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको देखिएन । नियममा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनुमा कार्यान्वयन गर्ने सक्रियता नदेखाएको कारण रहेको देखिन्छ । नियममा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुदा आर्थिक अनुशासनमा असर पर्ने देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र खर्च पारदर्शिताको लागि नियममा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।</p> | | | |
| दृण | | <p>आनुपातिक कट्टी नगरेको स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १५५ (५) (ढ) मा उपभोक्ता समितिको योगदानभन्दा कम काम</p> | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|---|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|
| | | सम्पन्न भई रनिङ्ग बिल र मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा सोही अनुरूप स्थानीय निकायबाट व्यहोरिने रकमलाई पनि सोही अनुपातमा कम गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको निम्न निर्माण कार्यको भुक्तानीमा आनुपातिक कट्टा नभई वढी भुक्तानी भएको देखियो । | | | | | | | | |
| | व.उ.शी.नं. | गो.नं. र मिति | निर्माण कार्य | सम्पन्न रकम | भुक्तानी हुनुपर्ने % | भुक्तानी हुनुपर्ने रकम | भुक्तानी भएको रकम | बढी रकम | | |
| | ३६५८०४४ | २९-७/३/२५ | सागवारी खा.पा. | ७७००१५ | ८४.५ | ५९९९९२ | ६०७३४२ | १५४३०.०० | | |
| | ३६५८०८४ | ४५-७२/३/८ | ढिमे पैक गाविसजोडने सडक | १०२९९९५ | ७९.९९ | ८०८५०० | ८१७५९६ | ९१०५.२९ | | |
| | | ६०-७२/३/२५ | थापाचौर कान्तारा भलाडे सडक | ३६८७३५ | ७९.८२ | २९४३२४ | ३००००० | ५६८८.५२ | | |
| | | ७२-७२/३/२५ | लामातारा शिवपुरी सडक | ४५२७३० | ८० | ३७२७२६ | ४६५९९३ | ७००४.३० | | |
| | जम्मा :- | | | | | | | ३७२२८.९९ | | |
| | | उपभोक्ता समिति संगको संभौता अनुसार काम गरेको मूल्याङ्कन वमोजिमको गणना नगरेवाट वढी भुक्तानी भएको छ । संभौता वमोजिम उपभोक्ता योगदानको अनुपात भन्दा वढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नु पर्ने रु. | | | | | | ३७२२८.९९ | | |
| द्वज | | वितरणमुखी खर्च :- स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ को दफा १० (७) मा लक्षित समूहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लक्षित समूहको पूँजि निर्माण, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार तथा क्षमता विकास भएको मापन गर्न सकिने ठोस कार्यक्रम वा आयोजनामा मात्र रकम विनियोजन एवं खर्च गर्नुपर्ने र लक्षित समूहको नाममा कुनैपनि प्रकारको वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन वा गोष्ठी जस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । निम्न खर्च वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गरेको देखियो । | | | | | | | | |
| | व.उ.शी.नं. | भौ.नं. र मिति | कार्य | | | रकम | | | | |
| | ३६५८५०३ | १२९-०७२/३/२५ | १३४०५ मिटर खानेपानी पाइप माननीय सभासद रिता रावलका प्रतिनिधी नवेन्द्र नेपाली | | | ४५२४९७.०० | | | | |
| | जम्मा | | | | | ४५२४९७.०० | | | | |
| | | यस वितरण कार्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नियमावली २०५८ को नियम ४(१)ट वमोजिम लागत सहभागिता रहेको समेत पाइएन । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको कारणले खर्च गरको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यमा खर्च गर्दा कार्यविधिको उल्लङ्घन हुन गई अपेक्षित | | | | | | ४५२४९७.०० | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|----------|--------|---|---------|-------------------|--------|--------|--|---|--|------------------------------|--------|--------|---|--|--|------------------------|--------|--------|---|--|--|----------------------------|--------|--------|--|--|--|----------------------------|--------|--------|--|--|--|----------------------|--------|--------|--|---|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | उपलब्धी हासिल भए नभएको यकिन भएन । कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार निश्चित योजना तथा कार्यक्रम बनाई खर्च हुनुपर्ने र व्यक्तिगत एवं संस्थालाई वितरण गर्ने कार्यमा भएको खर्च नियमानुसार नदेखिएको रु. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| द्ध | | जि.वि.स बोर्ड निर्णय बाट योजना छनौट तथा कार्यान्वयन : स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को दफा २०(३) मा जिल्ला विकास समितिले एकीकृत योजना तर्जुमा समितिबाट प्राथमिकीकरण भइ आएका कार्यक्रम वा आयोजनाहरु समावेशी र सहभागितामूलक पद्धतिबाट वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरि परिषदबाट फाल्गुन मसान्त भित्र स्वीकृत गराउनु पर्ने र परिषदबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भइ सकेपछि संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष २०७० फागुनमा भएको परिषदबाट स्वीकृत नभएका समावेशी र सहभागीतामूलक पद्धतिबाट छनौट नभएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत खर्च गरेको देखियो । परिषदबाट स्वीकृत नभएका योजना, कार्यान्वयन गर्दा समावेशी र सहभागिता सामुलक पद्धतिबाट छनौट नहुने तथा स्थानीय स्तरबाट माग गरिएका प्रथमिकतामा परेका कार्यक्रम वा योजना छनौट नहुने अवस्था रहन्छ । स्थानीय निकायले परिषदबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भई सके पछि परिषदले निर्णय गरे भन्दा बाहेक योजनामा खर्च गरेको कार्यविधि विपरीत देखिएकोले कार्यविधिको पूर्णपालना गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । केही उदाहरण निम्न छन् : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं.</th> <th>व.उ.शी.नं</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>विनियोजन रकम</th> <th>खर्च रकम</th> <th>कैफियत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>३६५८०४४</td> <td>सागवारी खा.पा. लह</td> <td>५५००००</td> <td>५५००००</td> <td>परिषदमा प्रस्तावित नभएको ०७/२/३० को एक बोर्डबाट विनियोजन</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td></td> <td>इउरी स्कूलमा खा.पा. व्यवस्था</td> <td>४०००००</td> <td>४०००००</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>दारिमपाटा खा.पा. रग्दा</td> <td>१५००००</td> <td>१५००००</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>खानेपानी पाइप खरिद खगेनकोट</td> <td>१०००००</td> <td>१०००००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>खानेपानी पाइप खरिद टालेगाउ</td> <td>१०००००</td> <td>१०००००</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>शौचालय निर्माण खलंगा</td> <td>१०००००</td> <td>१०००००</td> <td></td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>३४३१०१३</td> <td>युवा शक्ति परिचालन केन्द्र काकीगाउ</td> <td>१३००००</td> <td>१३००००</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | सि.नं. | व.उ.शी.नं | योजनाको नाम | विनियोजन रकम | खर्च रकम | कैफियत | १ | ३६५८०४४ | सागवारी खा.पा. लह | ५५०००० | ५५०००० | परिषदमा प्रस्तावित नभएको ०७/२/३० को एक बोर्डबाट विनियोजन | २ | | इउरी स्कूलमा खा.पा. व्यवस्था | ४००००० | ४००००० | " | | | दारिमपाटा खा.पा. रग्दा | १५०००० | १५०००० | " | | | खानेपानी पाइप खरिद खगेनकोट | १००००० | १००००० | | | | खानेपानी पाइप खरिद टालेगाउ | १००००० | १००००० | | | | शौचालय निर्माण खलंगा | १००००० | १००००० | | ३ | ३४३१०१३ | युवा शक्ति परिचालन केन्द्र काकीगाउ | १३०००० | १३०००० | | | | |
| सि.नं. | व.उ.शी.नं | योजनाको नाम | विनियोजन रकम | खर्च रकम | कैफियत | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | ३६५८०४४ | सागवारी खा.पा. लह | ५५०००० | ५५०००० | परिषदमा प्रस्तावित नभएको ०७/२/३० को एक बोर्डबाट विनियोजन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | | इउरी स्कूलमा खा.पा. व्यवस्था | ४००००० | ४००००० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | दारिमपाटा खा.पा. रग्दा | १५०००० | १५०००० | " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | खानेपानी पाइप खरिद खगेनकोट | १००००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | खानेपानी पाइप खरिद टालेगाउ | १००००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | शौचालय निर्माण खलंगा | १००००० | १००००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | ३४३१०१३ | युवा शक्ति परिचालन केन्द्र काकीगाउ | १३०००० | १३०००० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-------------------------------|---------|---------|----------|--------------|-----|
| | | | सूर्यकिरण युवाकेन्द्र जाजरकोट | १३०००० | १३०००० | | | |
| | | | प्रयास नेपाल | १३०००० | १३०००० | | | |
| | | | सामाजिक रुपान्तरणका लागि युवा | १३०००० | १३०००० | | | |
| | | | दलित विकास | १३०००० | १३०००० | | | |
| | | | जम्मा | २०५०००० | २०५०००० | | | |
| द्वघ | | व.उ शी.नं.३६५८५०३ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम : | | | | | | |
| ४३.१. | | <p>निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०५८ को नियम ३ मा ५० हजारभन्दा बढी लागत भएका कार्यक्रम अनुसूची-१, वमोजिम कार्यान्वयन तालिका समेत बनाई प्रत्येक आ.व.को पहिलो चौमासिक भित्र पेश गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी छनौट गरिने कार्यक्रम महिला बालबालिका दलित,अपाङ्ग,मधेशी मुशिलम पिछडा समुदाय तथा विपन्न वर्गको उत्थान र विकास सम्बन्धी तथा श्रममा आधारित योजना हुनु पर्ने उल्लेख छ । जिल्लाबाट प्रतिनिधी सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने तिनैजना सभासदबाट कार्यक्रम २०७१/१०११,०७१/१०१२ तथा २०७१/११/२८ मा पेश गरेको पाईयो । साथै नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप लक्षित समुदायमा आधारित भएका खास खास भनि तोकि कार्यक्रम पेश हुने गरेको छैन । साथै माननीय सभासदज्यू बाट कार्यक्रम संचालन गर्ने अख्तियारी आफ्नै प्रतिनिधि तोकि सम्पादन गराएको छ । यसले गर्दा सबै समुदायलाई समेटने गरी कार्यक्रम संचालन हुन सक्ने आधार देखिएन । माननीय सभासदबाट तोकिएको ढाचामा कार्यक्रम पेश भएको समेत पाइएन । उल्लेख गरिएको कार्यक्रमबाट वर्षान्तसम्म कुल १५/१५ लाखका दरले खर्च भएको छ ।</p> | | | | | | |
| ४३.२. | ८८-०७२/३/२१ | <p>स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ६७ मा अन्य सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सभासद राजीव विक्रम शाहीबाट छनौट भई आएको सामुदायिक रेडियो जाजरकोटलाई पूर्वाधार निर्माण वापत दिइने कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरेको पाइएन । कार्यालयले सो कार्यको लागि उक्त संरचनासंग संभौता गरी रु १,५०,०००/- भुक्तानी दिएको छ । लागत अनुमान तयार नगरेको र काम भएको परिमाण</p> | | | | ३६७७७७७७ | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|---------------|-----|
| | | नखुलेकोले यस कार्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली ५८ को ७ को (५) बमोजिम कार्यक्रम गरिने कार्यक्रमको लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम निकास भएपछि सो को आवधिक मूल्याङ्कन सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन प्राप्त नभए सम्म दोस्रो किस्ता दिने व्यवस्था भएतापनि सो व्यवस्थाको पालना नगरी कामको प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन नै नगरी रु १,५०,०००/- भुक्तानी दिएको छ । नियमावलीको पालना नहुँदा कामको तथा भुक्तानीको पारदर्शिता नरहने भएकोले यस प्रकारको भुक्तानी नियम संगत नभएको रु | | | |
| ४३.३. | १००-०७२/३/२५ | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६को नियम ४६ (६) मा भुक्तानी गर्दा पुगे नपुगेको जाच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बाघमारे खोला हाइड्रोपावर मर्मत संभारको कार्यमा कामको नापी गर्दा Rainforcement को परिमाण ६७७.७३ के.जी.देखिएको छ । उक्त समितिलाई कामको भुक्तानी ६७७.९४ के.जी.दिएको पाईयो । नापी भन्दा बढी परिमाण भुक्तानी हुनुमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट परिक्षण नहुनु रहेको छ । यसले गर्दा नापी भन्दा ८८.४९ के.जी. बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाई असुल गर्नु पर्ने रु... | | ज्ञणठछुडाटज्ञ | |
| ४३.४. | १२४-०७९/३/२५ | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम १५५ (५) ठ मा उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको श्रेस्ता विल भरपाई स्थानीय निकायले जांच गरी प्रतिवेदन लिने व्यवस्था छ । तुसारेखोला खानेपानी उपभोक्ता समितिले कार्यन्वयन गरेको कार्यको रु ५३०९८।५४ मूल्य अभिवृद्धि कर रकम दिने गरी संभौता गरेको छ । सो निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिबाट मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेको प्रमाण रु.३६८३७८० पेश गरेको छ । प्रमाणको आधारमा सो समितिलाई रु ३३८३७८० मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेमा विलको परिमाण भन्दा बढी रु १६२६०।७४ बढी भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी दिनु पर्ने भन्दा बढी लेखिएको खर्च असुल गर्ने रु | | १६२६०।७४ | |
| द्वद्व | | व.उ.शी नं. ३६५८०६४ भोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | | | |
| ४४.१. | | भोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्यको सुपरभिजन, उपभोक्ता समिति गठन परिचालन र सहजीकरणका लागि जिल्ला विकास समिति स्थानीय विकास कोषको | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------|-------|--------------------|------------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|--|------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | सचिवालय र ग्रामीण विकास सेवा केन्द्र विच २०६७।१०।१६ मा संभौता भएको थियो । संभौता अनुसार पुलको लागतको ६ प्रतिशत सम्म परामर्श सेवा शुल्क दरको शर्त रहेको ग्रामिण विकास सेवा केन्द्रको परामर्श अवधि २०७०।१०।१६ मा समाप्त भएकोमा २०७२।११।१९ सम्म म्याद थप दिएको पाइयो । संभौतामा म्याद थप गर्ने व्यवस्था रहेता पनि प्रतिपर्धा बेगर म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेको पाइएन । साथै उक्त परामर्शदाता संस्था मुल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता नभएकोले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ को नियम ७१ बमोजिम अनियमित देखिन्छ । उक्त परामर्शदातालाई यो वर्षमा मात्र लागत अनुमान स्वीकृत भएका भोलुङ्गे पुल निर्माणाधिन भोलुङ्गे पुल तथा सम्पन्न भएका भोलुङ्गे पुलको लागि रु.२५६६७५।०० भूक्तानी दिएको छ । अतः नियमको व्यवस्थाको परिधि भित्र रही म्यादथपको व्यवस्था हुनुपर्ने देखियो । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दछ | | जि.वि.स. गा.वि.स.को लागत सहभागिता नरहेको: भोलुङ्गे पुल सम्बन्धी निर्देशिकामा जिल्ला विकास समिति र ग्रामिण समितिले भोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा कोषबाट क्रमश ३,३ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने उल्लेख छ । यसै गरी भोलुङ्गे पुलको लागत अनुमानमा पनि दुवै निकायको ३%, ३% प्रतिशत लागत सहभागिता रहने उल्लेख छ । निम्नानुसारको पुल यो वर्ष सम्पन्न गरी अन्तिम भूक्तानी भएको पाइयो । तर अन्तिम भूक्तानीसम्म पनि गाउ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले लागतमा सहभागी नभई पूरै रकम केन्द्रीय वजेट र जनश्रमदानबाट सम्पन्न गरेको देखियो । लागत सहभागिता नभई सम्पन्न भएका भोलुङ्गे पुलहरु देहाय अनुसार छन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>पुलको नाम</th> <th>लागत अनुमान</th> <th>जि.वि.स ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश</th> <th>गा.वि.स.ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सिक्रे खोला भो.पु.</td> <td>२१०१२९०.००</td> <td>६३०३८</td> <td>६३०३८</td> </tr> <tr> <td>भेरी खोला टस व्रीज</td> <td>१६६४८४२.००</td> <td>५८९४६</td> <td>५८९४६</td> </tr> <tr> <td>स्याउली भो.पु</td> <td>३०५८१६६.००</td> <td>९१७४५</td> <td>९१७४५</td> </tr> <tr> <td></td> <td>६८२४२९८.००</td> <td>२१३७२९.००</td> <td>२१३७२९.००</td> </tr> </tbody> </table> | पुलको नाम | लागत अनुमान | जि.वि.स ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश | गा.वि.स.ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश | सिक्रे खोला भो.पु. | २१०१२९०.०० | ६३०३८ | ६३०३८ | भेरी खोला टस व्रीज | १६६४८४२.०० | ५८९४६ | ५८९४६ | स्याउली भो.पु | ३०५८१६६.०० | ९१७४५ | ९१७४५ | | ६८२४२९८.०० | २१३७२९.०० | २१३७२९.०० | | | |
| पुलको नाम | लागत अनुमान | जि.वि.स ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश | गा.वि.स.ले कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने अंश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सिक्रे खोला भो.पु. | २१०१२९०.०० | ६३०३८ | ६३०३८ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| भेरी खोला टस व्रीज | १६६४८४२.०० | ५८९४६ | ५८९४६ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| स्याउली भो.पु | ३०५८१६६.०० | ९१७४५ | ९१७४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ६८२४२९८.०० | २१३७२९.०० | २१३७२९.०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गाविस र जिविसबाट निर्माण हुने पुलमा रु.४२७४५।- लागत व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । तर दुवै निकायबाट लागतमा सहभागि नभएवाट केन्द्रीय वजेटमा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|----------|--------------|-----|
| | | पुरै भार परेको छ । पुल निर्माणको लागि सबै निकायको लागतमा सहभागी नभई सरकारी निकायलाई मात्र भार पर्ने गरी भएको खर्च संभौता तथा भोलुङ्गे पुल निर्माण निर्देशिका अनुरूप भएको पाइएन । | | | |
| द्वट | | ब.उ.शि.नं. ३४९८०१३ (स्थानीय शान्ति समिति) शान्ती तथा पुन निर्माण मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।२५ मा जिविसलाई प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को अख्तियारीमा प्रचलित कानून अनुसार लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण समेत गराउने निर्देशन छ । स्थानीय शान्ति समितिको लागी रु.६६००००।- बजेट बिनियोजन भएकोमा कार्यालयले ३० गाविसलाई प्रति गाविस रु.२२०००।- का दरले निकास पठाई खर्च लेखेको छ । खर्च गर्ने अख्तियारीमा उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने तथा सोको लेखापरीक्षण गर्ने दायित्य जिल्ला विकास समितिको हुने व्यवस्था छ । निकास पठाएका रकमको सम्बन्धित गाविस बाट खर्चको सेस्ता लिइ लेखापरीक्षण गराएको छैन । निर्देशिका अनुसार सेस्ता तथा कागजात लिई लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने रु. | ६६००००/- | | |
| द्वठ | | नेपाल जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (NCCSP) | | | |
| ४७.१. | | जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरबाट अनुकूलन हुनको लागि स्थानीय जनतामा सचेतता अभिवृद्धि गराउन र स्थानीय बासिन्दाकै अग्रसरतामा कार्यक्रम संचालन गरी अनुकूलन क्षमताको विकास गर्नु कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत जाजरकोट जिल्लामा २०७०।७१ मा ५ गाविस अर्छानी, पजारु, सुवानाउली, ढिमे र लहमा संचालन गरेकोमा २०७१।७२ मा ३ गाविस खलंगा भुर, र जुगाथापाचौर समावेश गरी ८ गाविसमा कार्यक्रम संचालन गर्न वार्षिक रु.३,८४,६६,०००।- बजेट व्यवस्था भएकोमा रु.३,४९,६९,९३२।- निकाशा तथा खर्च भएको छ । यसमा देखिएको व्यहोराहरु निम्नानुसार छन । | | | |
| ४७.२. | | विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी साथ संलग्न गरिएको निर्देशनमा एकल कोष प्रणाली लागु भई सकेको हुंदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेके कार्यविधि बमोजिम बजेट कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन रहेको छ । कार्यालयले एकल कोष प्रणाली बमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई चौमासिक रुपमा एक मुष्ट लिई जि.वि.स. | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|-------------------|---|-----|--------------|-----|
| | | खातामा रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने गरेको पाइयो । प्रत्येक खर्चको लागि भुक्तानी आदेश लिनु पर्नेमा सो नगरी एक मुष्ट निकासालिने गरेको छ । यसले गर्दा निर्देशनको पालना भएको पाइएन । निर्देशन अनुसार पुर्ण रुपमा एकल कोष खाता सिद्धान्त अनुसार खर्च गर्नु पर्दछ । | | | |
| ४७.३. | | वातावरण अनुकुलन कार्यक्रममा पशु स्वास्थ्य नस्ल सुधार, कृषि तालिम तथा बेमौशमी तरकारी, उन्नत बीउ, फलफुल, खानेपानी सिचाई कुलो निर्माण पानीका स्रोत संरक्षण आदि कार्यक्रम समेटिएको पाईन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरु खानेपानी, सिचाई वन कृषि पशुसेवा लगायतका विषयगत कार्यालयबाट समेत संचालन हुदै आएको छ । वातावरणीय परिवर्तनबाट परेको प्रभावबाट अकुलन हुन सबै निकायबाट अनुकुलन कार्य योजना बनाई कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । परियोजनाबाट कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रममा मात्र Adoption आधारित हुनु पर्ने र विषयगत कार्यालयले कार्य योजना बनाई काम गर्नु नपर्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तो कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निकायले कार्य योजना बनाई संचालन गर्न जिल्ला परिषदमा छलफल हुनु पर्ने देखिएको छ । अनुकुलन कार्यक्रमलाई अपरिहार्यताको रुपमा लिई जिल्ला भित्रका जीविकोपार्जन, आयआर्जन, व्यावसायिकता र विकास निर्माण काममा समेत समविष्ट गरी संचालन गर्न नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ । एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट गरिदा काममा दोहोरोपन आउने तर स्थानीय अनुकुलन कार्य योजना वमोजिम हुन नसक्ने देखिएकोले सम्वद्ध निकायको ध्यानाकर्षण हुनु पर्ने देखिएको छ । | | | |
| ढड | ३०७- २०७२।३।२५ | घुम्तीकोष :- स्थानीय अनुकुलन कार्य योजनालाई सफल पार्न र निरन्तरता दिदै न्यून आय भएका स्थानीय बासीको आय आर्जनको रुपमा स्रोत परिचालन गर्न घुम्तीकोषको व्यवस्था गरिएको छ । घुम्तीकोषमा सहभागी समुहको ५० प्रतिशत र परियोजनाले ५० प्रतिशत लगानी गरि स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । घुम्तीकोषको लागि गठन भएको समुहले बैकमा खाताखोली रकम जम्मा गर्ने र सो खातामा परियोजनाले समुहबाट जम्मा गरेको आधारमा बैक खातामा नै रकम जम्मा गरि दिनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले लह ७ मा गठन भएको जनकल्याण समुहले सदस्यबाट रकम उठाएको भरपाई संलग्न गरी रु | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|---------|--------------|-----|
| | | २००००।०० बैंक खातामा जम्मा नगरी नगदै दिएको पाईयो । बैंक खातामा रकम जम्मा नभएको छलफल गर्दा बैंकको पहुचबाट टाढा रहेको स्थानबाट बैंकिङ्ग कारोवार गर्न सहज नभएको कारण बैंक खाता नै नखोलिएकोले सदस्यबाट संकलित रुकम पनि नगदै रहेको र कार्यालयले पनि नगदै दिनु परेको जनाएको छ । तर बैंक खाता नखोली कारोवार गर्दा घुम्तीकोष नगद व्यक्तिको जिम्मामा रहने भएकोले हिनामिना तथा दुरुपयोग हुन सक्ने भएकोले बैंक मार्फत नै कारोवार गर्न लगाई कार्यालयले रकम बैंक खातामा नै जम्मा गरि दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । | | | |
| दृढ | २२९-०७२/३/१८ | प्रयोग भन्दा वढी जाली खर्च: स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधी नियमावली २०६४ को नियम १३१ मा विल वीजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जांच गरी वार्षिक कार्य सम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ । भेरी उच्च मा.वि. रिम्नामा ग्यावियनको कामको लागि २X१X१ साइजको ४० र १.५X१X१ साइजको ४० थानको लागत अनुमान तयार गरी सो काम विद्यालय मार्फत गराएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २X१X१ साइजको ३० थान र १.५X१X१ साइजको २५ थान प्रयोग भएको नापी किताबबाट देखिन्छ । उक्त साइजका जालीमा ९७.५० घ.मी. वोल्डर प्याकिड हुनु पर्नेमा ७० घ.मी. मात्र प्याकिड गरेको नापीमा उल्लेख छ । कार्यालयले विलको भुक्तानी गर्दा प्रयोग नभएका २X१X१ साइजका १५ थान र १.५X१X१ को ५ थान समेत २० थानको भुक्तानी दिएको देखियो । खपत नहुने गरी जाली उपलब्ध गराउनाले आवश्यक खर्च बढने र जालीमा दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ । प्रयोगमा नआउने गरी वितरणमुखी किसिमबाट विद्यालयलाई दिएको जालीको मूल्य अशुल गर्नुपर्ने देखिएको रु ... | २१३००/- | | |
| छुण | ३१३-०७२/३/१८ | गाउ विकास समितिबाट जलवायु अनुकुल कोष स्थापना गरी कार्य संचालन गर्न ५ गा.वि.स.को लागि प्रति गा.वि.स.११००००।- का दरले रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले सो कोष स्थापनाको लागि भूर गा.वि.स.लाई स्वीकृत रकम भन्दा वढी हुनेगरी रु.१६००००।- उपलब्ध गराएको छ । कार्यालयले संसोधित कार्यक्रम संचालन गर्न जिल्ला जलवायु अनुकुलन समन्वय समितिको निर्णय पेश नगरको रु. | ५००००/- | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------|----------|-----------|------------|---------------------------|---------|-----------|------------|--|-------|----------|--|--|--|--|
| छज | | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत स्वास्थ्य सम्वन्धी तालिम तथा शिविर संचालन गर्न जिल्ला विकास समिति र सो कार्यालय विच मिति २०७१।११।१५ मा संभौता भएको छ । संभौता अनुसार कार्यालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको पेशकी रु.११२१७४०।- फछ्यौट गरेको फांटवारी परीक्षण गर्दा निम्न व्यहोरा देखिएका छन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१.१. | | पेशकी फछ्यौटको संलग्न फांटवारी अनुसार स्वास्थ्य सम्वन्धी २ दिने तालिम ४ स्थानमा मिति २०७२।२।१ देखि ०७२।२।१३ सम्म र निशुल्क स्वास्थ्य शिविर २ दिने ४ स्थानमा २०७२।२।२० देखि २०७२।२।३२ सम्म संचालन गरेको देखियो । स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्दा वितरण गरिने औषधीहरु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निम्नानुसार मितिमा सिधै खरिद गरेको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>औषधी खरिद गरेका फमको नाम</th> <th>औषधीखरिद मिति</th> <th>खर्च लेखेको रकम</th> <th>थप व्यहोरा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज</td> <td>०७२/२/३२</td> <td>३२२७३०.००</td> <td>४२ किसिमका</td> </tr> <tr> <td>कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज</td> <td>०७२/३/१</td> <td>२९२७४९.००</td> <td>५२ किसिमका</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>६१५४७९/-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | औषधी खरिद गरेका फमको नाम | औषधीखरिद मिति | खर्च लेखेको रकम | थप व्यहोरा | कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज | ०७२/२/३२ | ३२२७३०.०० | ४२ किसिमका | कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज | ०७२/३/१ | २९२७४९.०० | ५२ किसिमका | | जम्मा | ६१५४७९/- | | | | |
| औषधी खरिद गरेका फमको नाम | औषधीखरिद मिति | खर्च लेखेको रकम | थप व्यहोरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज | ०७२/२/३२ | ३२२७३०.०० | ४२ किसिमका | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कृष्ण इन्टरनेशनल नेपालगंज | ०७२/३/१ | २९२७४९.०० | ५२ किसिमका | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | जम्मा | ६१५४७९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१.२. | | सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ८ मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद हुदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले ६ लाख भन्दाबढी मूल्यको औषधी खरिदलाई २ टुक्रा पारी सीधै खरिद गरेको छ । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा नै नगराई सिधै खरिद गर्नाले लागत अनुमानकै दरमा खरिद भएको छ । यस प्रकार प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी कामलाई टुक्रा गरी खरिद गर्नु नियमसंगत देखिएन । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५१.३. | | खरिद गरिएका औषधीहरु हिलपार्क गेष्ट हाउसको गाडी भाडामा लिई मिति २०७१।२।१५,१७,१८ र २८ मा औषधी हुवानी गरेको फांटवारी पेश भएको छ । औषधी खरिद, तालिम संचालन र हुवानी विचको आपसी तालमेल मिलेको छैन । कार्यालयबाट स्वास्थ्य शिविर संचालन भएको मिति भन्दा पछाडिको खरिद गरेका औषधीको भुक्तानी दावी गरेको छ । शिविरमा वितरण गरेको भनिएको औषधी शिविर संचालन मितिभन्दा पछाडि खरिद भएकोदेखिएकोले औषधी वितरण भएको भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसमा कारोवारको स्वच्छता नदेखिएकोले छानविन गरी नतिजा पेश गर्नुपर्ने रु. | ६१५४७९/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|----------------------|---|------------------------|--------------|-----|
| छद् | ३४३-०७२/३/२५ | पहाडी क्षेत्रमा विरामी वोक्ने स्टेचर वितरण कार्यक्रमको लागि पहाडी क्षेत्र विकास अभियान (गैर सरकारी संस्था) संग भूर,खलंगा र जुगाथापाचौरमा ९।९ वटाका दरले (प्रति स्टेचर रु ६३००।-ले भुक्तानी दिन) महिला समुहलाई बुझाउने गरी संभौता भएको थियो । उक्त संस्थाले खलंगाका १ सामाजिक परिचालकलाई ९ थान बुझाएको देखियो । निजलाई सो वापतको रकम भुक्तानी गर्दा सबै स्थानमा स्टेचर बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मालसामान संभौता वमोजिम २ गा.वि.स.का महिला समुहले बुझेको देखिएन । कार्यालयले निजको अन्य कार्य सहितको कुल विल रु ७३९४३२।- मध्ये जांचपांस वापत ६५३८१।- कटाई धरौटीमा राखेको छ । जाचपांस वापत रोक्का राखेको भन्दा बढी रकम संस्थाले स्टेचर वितरण वापत भुक्तानी पाएको देखिएको छ । २ गा.वि.स.को स्टेचर वितरण गरेको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदत पेश गर्नुपर्ने रु. | ११३४००।- | | |
| छघ | ३५६,३७४- ०७२/३/२५ | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सन्वन्धी नियमावली २०६४ को नियम १५५(१) ग मा निर्माण सामग्रीको बजार मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धि गरी लागत अनुमान तयार भई र सोही नियमावलीको १५५(१) ठ मा वील भरपाई जाच गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था छ । कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा मू.अ.क.लाग्ने निर्माण सामग्रीको मूल्यमा मू.अ.क. समोवेश गरेको र साही ल.इ.को काम गर्न उपभोक्ता समितिवाट गर्ने गरी दिएको पाइयो । कामको नमप जाच गरी भूक्तानी गर्दा उपभोक्ता समितिले निर्माण सामग्री मू.अ.क. दर्ता भएका फर्मवाट खरिद गरेको प्रमाण पेश गरेको छैनन । तर यसरी लागतमा समावेश गरेको मू.अ.क.रकम पुरै भूक्तानी दिएको छ । मै.अ.क.तिरेको प्रमाण वेगर उपभोक्तालाई सो रकम भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएको यस प्रकारको भूक्तानी नियमसंगत नदेखिएको रु. | १४६६५५/- | | |
| | | योजनाको नाम | मू.अ.क.वापतको भुक्तानी | | |
| | | भित्री खोला ध.वि.यो.उ.स. | २५८२२.०० | | |
| | | पौजाखोला तटवन्ध निर्माण उपभोक्ता समिति | १२०८३३.०० | | |
| | | जम्मा | १४६६५५.०० | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|-----|--------------|-----|
| छद्द | | व.उ.शि.नं. ३६५८१९३/४ स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम | | | |
| ५४.१. | | साना सामुदायिक पूर्वाधार विकास अनुदान सम्वन्धी मार्गदर्शन को दफा १(३) मा गाविस र नपाले छनौट गरी प्राप्त योजना जिविसले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको क्षेत्रिय समन्वय इकाई (RCU) मा पठाउने दफा १.४ अनुसार RCU ले उपयुक्त योजना छनौट गर्ने उल्लेख छ । उक्त छनौट योजना दफा ३.१ अनुसार २०७१ बैशाख मसान्त भित्र RCU मा पुगि सक्नु पर्ने प्रावधान छ । दफा ६ अनुसार नेपाल सरकारको नियमित प्रतिवेदनको अलावा सवै योजनाहरुको योजनागत खर्च एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिना भित्र गाविसले जिविसमार्फत पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले जिविसलाई उपलब्ध गराएको अख्तियारी पत्रमा जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्यहरुले जिल्लामा योजनाहरुको अनुगमन गर्न र एकमुष्ट अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रालयको अनुगमन मूल्यांकन शाखा र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वय इकाइमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ । सो अनुसार अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएको पाइएन । जिविसले सो मार्गदर्शन अनुसार गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन । मार्गदर्शन अनुसार योजन छनौट, स्वीकृति नहुंदा योजनाको सहि पहिचान हुन सक्ने देखिदैन । तसर्थ मार्गदर्शनमा तोकिए वमोजिम गर्नु गराउनु पर्दछ । | | | |
| छछ | | व.उ.शी.नं.३६५८१५३/४ विकेन्द्रीत ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम | | | |
| ५५.१. | | सोभै खरिद: कार्यक्रम संचालन निर्देशिकाको प्रकरण ३८ तथा योजना संचालन कार्यविधि (PMC) मा वार्षिक १ लाख अमेरिकी डलरसम्मको खरिद कार्य सोभै (Shopping)विधिद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको उक्त व्यवस्थालाई आधार बनाई कार्यालयले खरिद गरेको सम्वन्धमा निम्न व्यहोरा देखिएका छन् | | | |
| ५५.२. | | स्थानीय निकाय आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली वमोजिम विभिन्न खरिद सम्वन्धी सूचनाको अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक र गैर सरकारी संस्था समेतको छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूची तयार गर्नुपर्ने | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|-----|--------------|-----|
| | | व्यवस्था छ । सोभै खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि नियमावलीको व्यवस्था अनुसार एक तह माथिको स्वीकृति लिई मौजूदा सूची भित्र रहेका आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक र गैर सरकारी संस्थाबाट सोभै खरिद गर्नसकिने व्यवस्था छ । कार्यालयले नियमको व्यवस्था अनुसार कार्यालयले मौजूदा सूची तयार गरेको छैन । | | | | | | |
| ५५.३. | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली २०६४ को नियम ७५ मा एक लाख पचहत्तर रुपैया सम्मको पूजीगत मालसामान वा निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा सोभै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्नानुसार लागत अनुमान भएका मालसामान तथा निर्माण कार्य सोभै खरिद गरेको पाइयो । | | | | | | |
| | गो भौ नं मिति | कार्य विवरण | लागत अनुमान | Shopping द्वारा कामगराएको फर्म | भूक्तानी रकम | | | |
| | १२-०७१/९/२२ | जग्गाको Cadastral Survey | २९९४४५.०० | सर्भेक्षक अन्जनी कुमार जोशी | २८९३१०.०० | | | |
| | १३-०७१/९/१३ | ग्यावियन तार जाली खरिद | २२९८५७७.१८ | पि.के.ट्रेडर्स | २२९९३००.०६ | | | |
| | ६०-०७२/३/२५ | वालुवा-छेडा सडक मर्मत | १३१३४९६.९८ | नमस्ते रवि निर्माण सेवा | १३१३८९६.९८ | | | |
| | ६३-०७२/३/२५ | खलंगा-रिम्ना सडक मर्मत | ६०३५३३८.०० | खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन | ५९८९१७४.४६ | | | |
| | ६९-०७२/३/२५ | BG गुपको लागि औजार खरिद | १२६५७२३.०० | शुभश्री ट्रेडर्स | १२५९३८५.०० | | | |
| | ७०-०७२/३/२५ | BG गुपको लागि औजार खरिद | ६६०५०२.०० | विषधारी सप्लायर्स | ६६०५०२.०० | | | |
| | | जम्मा | ११८७३०८२.१६ | जम्मा | ११७३१५६८.५० | | | |
| | | नियमको पालना गर्न नसकी कार्यक्रम संचालन निर्देशिका वमोजिम खरिद गर्नुको कुनै कारण रहेको पाइएन । नियमको प्रावधानलाई वास्ता नै नगरी सोभै (Shopping)विधिद्वारा खरिद गर्दा प्रतिपर्धा नभई सिमित फर्म तथा व्यवसायीले दिएको लागत अनुमान कै हाराहारीको दरवाट नै खरिद हुने गरेकोछ । यसले गर्दा मितव्ययी तथा पारदर्शी खरिद हुन सकेको छैन । नियमावलीको प्रावधान र सोभै खरिद व्यवस्थाको सामन्जस्यता हुने गरी खरिद कार्य गर्नु पर्दछ । | | | | | | |
| ५५.४. | | कर बीजक वेगरको भूक्तानी: मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम १७ मा दर्ता भएको व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रापकलाई तोकिए वमोजिमको ढाचामा कर बीजक दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली २०६४ को नियम १३० मा निर्माण | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|-----|
| | | व्यवसायी आपूर्ति कर्ता वा सेवा प्रदायकले विल विजक पेश गरेपछि भूक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले निम्न निर्माण व्यवसायीको विलको भूक्तानी गर्दा कर विजक लिएको पाएन । | | | | | |
| | गो भौ नं मिति | निर्माण व्यवसायीको नाम | कूल भूक्तानी | मू.अ.क. रकम | | | |
| | ७०-०७२/३/२५ | सूर्य कन्स्टक्सन | १५२४०१५६.६३ | १७३९९४५.८७ | | | |
| | | जम्मा | १५२४०१५६.६३ | १७३९९४५.८७ | | | |
| | | विजक वेगर मूल्य अभिवृद्धि कर भूक्तानी गर्दा निर्माण व्यवसायीले कर नवुभाउने वुभाए पनि ढिला गरी वुभाउने सम्भावना रहन्छ । नियमको व्यवस्था अनुसार भूक्तानी गरीएको खर्चलाई नियमित भूक्तानी भएको पाइएन । अत निर्माण व्यवसायीले भूक्तानी पाएकै वखत जारी गरेको वीजक साथ तोकिएको अवधी भित्र उक्त कर वापतको रकम सम्बन्धित राजश्व कार्यालयमा समायोजन गरेको प्रमाण पेश हुनुपर्ने रु. | | | १७३९९४५.८७ | | |
| ५५.५. | | जरिवाना संचित कोष दाखिला नगरेको: नेपाल सरकारबाट केन्द्रीय वजेटबाट विनियोजन भएको वजेट कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकार कै राजश्व खातामा दाखिला गर्नुपर्दछ । यो कार्यक्रमबाट सडक निर्माण गर्ने कार्यको लागि वन्दोवस्त भएको ठेक्काको काम निर्माण व्यवसायीले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न नगरेको कारण संभौताका व्यवस्था अनुसार कार्यालयले निम्न निर्माण व्यवसायीलाई हर्जाना लगाएको पाइयो । यसरी लगाएको हर्जाना वापतको रकम नेपाल सरकारको राजश्व खातामा दाखिला नगरी जिल्ला विकास समितिको कोषमा जम्मा गरेको पाइयो । | | | | | |
| | सि.नं. | निर्माण व्यवसायीको नाम | हर्जाना रकम | | | | |
| | १ | सूर्य कन्स्टक्सन | ८३८५४.०० | | | | |
| | २ | लोहनी ब्रदर्श/एवि कन्टक्सन | २२३३८१.०० | | | | |
| | | जम्मा | ३०७२३५.०० | | | | |
| | | नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकम हर्जाना लगाएको कारण घटी खर्च भएको छ । यसरी विनियोजित वजेट खर्च नभएको अवस्थामा नेपाल सरकार कै राजश्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने भएको हुदा उक्त रकम असुल गरी सरकारी रावश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रु. | | | ३०७२३५/- | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|----------------------------|-----------------|-----|
| ५५.६. | | धरौटी (डिलिप) - गत वर्षको जिम्मेवारी रु.१४००९४०।- मा यस वर्ष आम्दानी रु.१७५६६२८।- समेत रु.३१५९५६८।-मा रु.११०९४५।- फिर्ता भई सेस्ता अनुसार रु.३०,४८,९२३।- मौज्जात देखिएकोमा प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक मौज्जात रु.३०,४८,९२३।- देखिएको छ । उल्लेख गरिएको धरौटी रकम जिल्ला विकास समितिको एकिकृत आर्थिक विवरणमा समावेश छैन । | | | |
| ५५.७. | | पेशकी बाँकी सम्बन्धमा - स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९२ मा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई फछ्यौट गर्ने वा गराउने व्यवस्था छ । निम्न संघ संस्था, व्यक्तिहरूलाई यस बजेट शीर्षकका कार्यक्रमहरूबाट निम्नानुसार दिएको पेशकी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा फछ्यौट नभई बाँकी रहेकोले नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु. | ३३१०५०५/- | | |
| | | पेशकी लिनेको नाम | पेशकी प्रयोजन | पेशकी बाँकी रकम | |
| | | सव इन्जिनियर लोक वहादुर खड्का | जग्गा मुआब्जा वितरण | २७१०५०५/- | |
| | | जिल्ला वन कार्यालय जाजरकेट | विरुवा खरिद तथा वृक्षारोपण | ६०००००/- | |
| ५५.८. | | आ.ले.प. प्रतिवेदन कार्यान्वयन: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका वेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण पूर्व फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण पूर्व आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याएका वेरुजुहरु फछ्यौट गरेको पाइएन । नियमको व्यवस्था वमोजिम यस्ता वेरुजुहरु फछ्यौट नगर्दा आर्थिक अनुसासन पालना नभएको देखिन्छ । अतः देहायअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएका वेरुजुहरु उल्लेख भएका प्रावधान वमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्ने: | | | |
| | २-०७१/६/६ | लेखापाल खेमराज शर्मा २०७१।४।११ देखि २०७१।४।२५ सम्म काठमाण्डौ प्लेनवाट भ्रमण गरी यात्रा खर्च रु.२९५२०।- भूक्तानी लिएको पाइयो । निजले यात्रा गरेको विमान सेवाको यात्रा टिकट तथा बोर्डिङ पास फाटवारीमा संलग्न नगरेकोले प्रमाण वेगर भूक्तानी भएको खर्च नियमित नभएको रु | ८८३५/- | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|----------|------------|--|------------------------|--------------|-----|
| ५५.९. | | सम्परिक्षण : यस कार्यालयको गत विगत वर्षको फछ्यौट हुन बाँकी वेरुजु फछ्यौट गरी सम्परिक्षणको लागि पेश भएको छ । फछ्यौट गरेको फाँटवारी परीक्षण गर्दा मनासीव देखिएकोले निम्नानुसारको वेरुजु सम्परिक्षण गरिएको छ । | | | | | | |
| | | आ.व. | व.शि.नं. | वेरुजु दफा | वेरुजुको व्यहोरा | वेरुजु फछ्यौट को विवरण | रकम | |
| | | ०७०/७१ | ३६५८१५३ | १५.३५ | १ निर्माण व्यवसायीको मोविलाइजेशन पेशकी | | | |
| | | | | | (क) लोहनी एण्ड ब्रदर्श | प्रमाण पेश | २३३८०७७.०० | |
| | | | | | (ख) सूर्य कन्स्ट्रक्सन | प्रमाण पेश | २५१७६३९.०० | |
| | | | | | २ गाउ स्तरिय सा.नि.भाप्रा | प्रमाण पेश | ८०००००.०० | |
| | | | | | ३ गाउ स्तरिय सा.नि.ढिमे | प्रमाण पेश | १८०००००.०० | |
| | | ०६९/७० | | - | पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेको | दाखिला प्रमाण | १४३२९.०० | |
| | | | | | | जम्मा | ७४७००३७.०० | |
| छट | | व.उ.शी.नं३६५८०७३ ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम | | | | | - | |
| ५६.१. | | अर्थमन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७० मा पूजीगत खर्चका लागि खर्च संकेत नं २९०००० देखिका खर्च शीर्षकमा वजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट २०७१।५।१९ को वजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पत्रमा ग्रामिण सडक निर्माणमा खर्च शीर्षक २९६९९ वाट रु.८० लाख विनियोजन भएको थियो । पुन सोही प्रयोजनको लागि कार्यक्रम समेत खुलाई २०७१।९।२।४ को पत्रबाट रु.५ लाख थप पठाउदा खर्च शीर्षक २६३२२ राखेको पाइयो । पूजी निर्माणको लागि वजेट पूजीगत खर्च शीर्षक मै विनियोजन गरी पठाउनु पर्नेमा चालु शीर्षकमा विनियोजन गरी पठाएको छ । यसरी वजेट पठाउनाले वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वन निर्देशिका तथा व्याख्या विपरीत खर्च भएको छ । यस प्रकारको विनियोजनबाट भएका खर्चबाट चालु तथा पूजिगत खर्च पारदर्शी नहुने र उक्त खर्च सिद्धान्त विपरीत हुने भएकोले यस प्रकारको खर्च नियमित नदेखिएको रु. | | | | | ५०००००/- | |
| ५६.२. | | करार सेवाका कर्मचारीको खर्च: अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७० मा कार्यालयको सुरक्षा गर्ने सरसफाई गर्ने वगैचा संभार गर्ने जस्ता कार्यालय संचालको लागि आवश्यक पर्ने सेवाको लागि आवधिक वा पटके | | | | | २२९३००/- | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|--------|--------------|-----|
| | | संभौता गरी सेवा लिइने शुल्कको लागि खर्च संकेत नं.२२५१२ मा समावेश गरी वजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रकम को बाढफाट गर्दा सो शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको पाइएन । कार्यालयले करारमा १ जना कार्यालय सहयोगी राखी निजको सवै सुविधा खर्च शीर्षक नं २११११ तलववाट लेखेको छ । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ४५(२)क मा रकम स्वीकृत वजेट भित्र र सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा पर्दछ र खर्च गर्न बाकी भए खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । तर कार्यालयले खर्च गर्नको लागि विनियोजन नै नगरिएको कार्यमा खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना हुन सकेको देखिएन । वजेट सिद्धान्त विपरित हुने गरी लेखिएको खर्च नियमसंगत नभएको रु. | | | |
| ५६.३. | | आ.ले.प. प्रतिवेदन कार्यान्वयन: स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम २०२ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका वेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण पूर्व फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण पूर्व आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औल्याएका वेरुजुहरु फछ्यौट गरेको पाइएन । नियमको व्यवस्था वमोजिम यस्ता वेरुजुहरु फछ्यौट नगर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको देखिन्छ । अत देहाय अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएका वेरुजुहरु उल्लेख भएका प्रावधान वमोजिम फछ्यौट गर्नुपर्दछ । | | | |
| | | इ. जगत कुमार आर सि ले दैनिक भत्ता लिएका अवधिको दैनिक भत्ता समेत लिएकोले अशुल गर्ने रु. | १६७६/- | | |
| छठ | | व.उ.शी.नं.३६५८०८४ स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम | | | |
| ५७.१. | ७४-०७/३/२५ | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६ को नियम ४६ (६) मा भुक्तानी गर्दा रित पुगे नपुगेको जांच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । भुर स्याउले भेडेखर्ड सडक ७+७५० देखि ९+२२० भित्र ट्रयाक खोल्ने कार्यको प्रथम रनिङ्ग विलवाट काम गराई भुक्तानी दिइ सकेको देखियो । उपभोक्ताले दोस्रो विल पेश गर्दा ७+७५० देखि ७+८१० र ९+०४० देखि ९+११० सम्मको नापी गरी भुक्तानी दिएको पाइयो । पहिलो विल वाट ७+७५० देखि ७+८१० सम्मको भुक्तानी भई सकेकोले एउटै स्थानको दोहोरो पर्न गएको छ । दोहोरो नापीबाट | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|----------|--------------|-----|----------|------------------|-------------|------|---------|-----------------------|-------------|------|---------|--------------------|--------------|-------|----------|--|--|-------|----------|--|--|--|
| | | निम्नानुसार घ.मी.को काम बढी भुक्तानी दिएको छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>कटिड परिमाण</th> <th>दर</th> <th>भुक्तानी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>साधारण माटो कटिड</td> <td>२८.५३ घ.मी.</td> <td>५४१२</td> <td>१५४४.०४</td> </tr> <tr> <td>साटो माटो ढुङ्गा कटिड</td> <td>९०.९३ घ.मी.</td> <td>८११३</td> <td>७३७७.१५</td> </tr> <tr> <td>साधारण चट्टान कटिड</td> <td>१६५.८४ घ.मी.</td> <td>२२३६४</td> <td>३७०८८.४५</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>४६००९.६४</td> </tr> </tbody> </table> | विवरण | कटिड परिमाण | दर | भुक्तानी | साधारण माटो कटिड | २८.५३ घ.मी. | ५४१२ | १५४४.०४ | साटो माटो ढुङ्गा कटिड | ९०.९३ घ.मी. | ८११३ | ७३७७.१५ | साधारण चट्टान कटिड | १६५.८४ घ.मी. | २२३६४ | ३७०८८.४५ | | | जम्मा | ४६००९.६४ | | | |
| विवरण | कटिड परिमाण | दर | भुक्तानी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| साधारण माटो कटिड | २८.५३ घ.मी. | ५४१२ | १५४४.०४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| साटो माटो ढुङ्गा कटिड | ९०.९३ घ.मी. | ८११३ | ७३७७.१५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| साधारण चट्टान कटिड | १६५.८४ घ.मी. | २२३६४ | ३७०८८.४५ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | जम्मा | ४६००९.६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | एउटै काम दोहोरो नापी हुनुमा कामको नाप जाच र मूल्याङ्कनको लागि साइडमा खटिने प्राविधिकको कमजोरी रहेको छ । दोहोरो नापीवाट भुक्तानी लेखिएको रकम सम्बन्धितलाई कारवाही गरी अशुल गर्नु पर्ने रु.. | ४६००९/६४ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| छुड | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५८.१. | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ को दफा १३ मा अधिल्लो आर्थिक वर्षको पेशकी फछ्यौट भएपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो किस्ता, पहिलो किस्ताको पेशकी फछ्यौट भएपछि दोस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ताको पेशकी फछ्यौट भए पछि तेस्रो किस्ताको निकास दिनु पर्ने, दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम निकास दिँदा अधिल्लो किस्ताको निकासामा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम कटाएर मात्र निकास दिनु पर्ने, प्रत्येक चौमासिकमा भुक्तानी गरेको रकमको भरपाई भुक्तानी गरेको १५ दिन भित्र पेशकी फछ्यौटका लागि जिल्ला विकास समितिमा पठाउनु पर्ने र जिल्ला विकास समितिले प्राप्त विवरणको आधारमा १५ दिनभित्र पेशकी फछ्यौट गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यस वर्ष कार्यविधिले तोकेको समयमा उपरोक्तानुसार निकास दिने तथा पेशकी फछ्यौट गर्ने गरेको देखिएन । यस वर्ष निकास भएको मध्ये रु.३,९१,४३,६००।- पेशकी बाँकी नै देखिन्छ । निकास दिँदा अधिल्लो किस्ताको पेशकी फछ्यौट नगरी दिएको देखियो । कार्यविधिको पालना सम्बन्धमा संवेदनशील नहुनु यसको कारण देखिन्छ । यस वर्ष कार्यालयले अधिल्ला किस्तामा निकास भएको रकमको पेशकी फछ्यौट नगरी पुनः पेशकी दिएको छ । यस वर्षको सबै किस्ताको भरपाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पेश नहुँदा सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम कार्यालयको (| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|-----|--------------|-----|
| | | गा.वि.स.) खातामा मौज्दात राख्ने र उक्त रकम केही समयको लागि अन्यत्र लगानी गरी लक्षित समूहभन्दा अन्य व्यक्तिले व्यक्तिगत फाईदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अतः सामाजिक सुरक्षा वापत निकास भएकै रकम सम्बन्धित लक्षित समूहलाई समयमै वितरण गरी सो को विल भरपाई तोकिएको समयमै जि.वि.स.मा पेश गरी पेशकी फरफारक गरी कार्यविधिको पालना गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ । | | | |
| ५८.२. | | अनुसूची ८ नै नवनाई भत्ता रकम निकास : सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ को दफा १७ (२) मा भत्ता/वृत्ति/अनुदान पाई रहेका व्यक्ति बसाई सराई भइ गएमा वा मृत्यु भएमा सो को विवरण समावेश गरी अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा गाउँ विकास समितिले प्रत्येक वर्षको पौष र जेष्ठमहिना भित्र जिल्ला विकास समितिमा र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले प्रत्येक वर्षको माघ र आषाढ महिना भित्रमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्ने र यसै फाराममा भरिएको विवरणलाई आधार मानी आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक बजेट प्रस्ताव गरिने व्यवस्था छ । त्यसै गरी कार्यविधिको दफा ६ (६) मा प्रत्येक गाउँ विकास समितिको कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा भत्ता सुविधा पाउने व्यक्तिहरुको नामावली सहितको विवरण पौषको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला विकास समितिमा पठाई सक्नु पर्ने र जिल्ला विकास समितिले पनि जिल्ला भरका गाउँ विकास समिति अलग अलग देखिने गरी अनुसूची-८ बमोजिमको एकमुष्ट विवरण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र त्यसको विवरण आफ्नो वेभसाईट माफत सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले अनुसूची-८ बमोजिमको विवरण वेभसाईटमा राखेको पाईएन । कार्यालयबाट पेश भएका २०७१/०७२ का लागि मन्त्रालयमा पठाएको अनुसूची -८ पेश भएन । अनुसूचीको विवरणवाट अनुसार आ.व.२०७१/०७२ का लागि २०७० साल माघ सम्म कायम भएका संख्याको आधारमा भत्ता रकम निकास दिनुपर्नेमा आधार विना नै निकास दिएको देखियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यसंचालन नियमावलीको प्रावधानलाई पालना नगरी निकास दिदा वास्तविकभन्दा वढी वा घटी निकास हुनसक्ने र रकमको दुरुपयोग हुन सक्ने देखियो । यसप्रकार पेशकी निकास | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | दिने र फछ्यौट गर्ने कार्यलाई नियमित मान्ने आधार देखिएन । | | | |
| ५८.३. | | भत्ता वितरण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६९ को बुदा नं.१३ (२) मा गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाको सचिवले यस कार्यक्रम वापत प्राप्त भत्ता बृत्ति/ अनुदान रकम परिचय पत्र प्राप्त गरेका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रथम चौमासिकमा बडा दशै पूर्व आश्विन १ गते दोश्रो चौमासिकमा माघ १२ गते र तेश्रो चौमासिकमा जेष्ठ १५ गते भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका ३० गाविसका लागि मिति २०७१।६।२९ गते प्रथम चौमासिक निकासी २०७१।१२।३१ गते दोस्रो चौमासिक निकासी र २०७२।३।१३ गते तेस्रो चौमासिक निकासी दिएको देखियो । कार्यविधिले तोके बमोजिम भत्ता वितरण गर्न समयमा निकासी नदिदाँ जुन उद्देश्यले लक्षित वर्गमा भत्ता बृत्ति गर्न खोजिएको हो सो अनुरूप लक्षित व्यक्तिले भत्ता पाउने समय र रकम सम्बन्धमा पूर्वानुमान गरी ढुक्कसंग बस्न सक्ने अवस्था रहेको पाइएन । अतः कार्यविधिले व्यवस्था गरेको समयमा भत्ता बृत्ति वितरण गरी लक्षित समुह पूर्ण रूपमा आश्वस्त बनाउन समयमै बजेट निकासी दिने र वितरण गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिन्छ । | | | |
| ५८.४. | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०६९ को बुदा नं. ३ (च) ४ मा प्रत्येक गाउँ विकास समिति/नगरपालिकाले बालसंरक्षण अनुदान वितरण गर्नको लागि उमेरको गणना गर्दा कुनै बालबालिका कुनै महिनाको पन्ध्र गते सम्ममा पाँच वर्ष पूरा हुने भए सो महिनासम्मको पूरै रकम प्रदान गर्ने र सोह्र गते भन्दापछि पाँच वर्ष (साठी महिना) पूरा हुने भए सो महिनादेखि रकम वितरण नगर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रावधान छ । कार्यविधिले तोकेको उमेर भन्दा बढी उमेरका बालबालिकाको नाममा भत्ता वितरण गर्न मिल्दैन । कार्यालयले जिल्लाका सबै गा.वि.स.मा पोषण भत्ता पाउने बालबालिकाको नाम नामेसी विवरण अध्यावधिक नगरी संख्याको आधारमा मात्र भत्ता निकासी लिने र खर्च गर्ने गरेको देखियो । बालबालिकाको नाम र जन्म मिति सहितको अध्यावधिक अभिलेख बेगर गाविसलाई रकम निकासी दिई जन्म मिति बेगरको भर्पाइ पेश गरी पेशकी फछ्यौट गर्दा कार्यविधिले तोकेको उमेरभन्दा बढी उमेरका बालबालिका तथा मुल अभिलेखमा नपरेका बालबालिकाको नाममा | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | पोषण भत्ता वितरण भएको छैन भन्ने आधार भएन । संख्याको आधारमा मात्र निकास तथा खर्च गर्दा उमेर पुगी सकेको बालबालिकाको नाम राखेर भर्पाइ पेश भएको अवस्थामा समेत पेशकी फछ्यौट हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यविधि बमोजिम नाम र जन्म मिति सहितको अभिलेख तयार गरि निकास तथा खर्च गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखियो । | | | |
| ५८.५. | | सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ को दफा ९ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जिल्ला विकास समितिको सभापति वा सभापतिको काम गर्न तोकिएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा २३ मा उक्त समन्वय समितिसँग समन्वय गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले भत्ता वितरण प्रक्रियाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिको उक्त व्यवस्था अनुसार समन्वय समिति गठन गरी कार्यालयले जिल्लाका ३० गाउँ विकास समितिको भत्ता वितरणको निरीक्षण र अनुगमन गरे गराएको पाएन । भत्ता वितरणको निरीक्षण र अनुगमन नगर्दा यथार्थता यकिन हुन सक्ने देखिएन । अतः भत्ता वितरण कार्यलाई वास्तविक तथा पारदर्शी बनाउन संयन्त्र खडा गरी नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । | | | |
| ५८.६. | | कार्यविधिको दफा ८(५) मा आगामी आर्थिक वर्षदेखि भत्ता पाउने नयाँ परिचयपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति र हाल सम्म भत्ता पाइरहेका व्यक्तिको नवीकरण गरिएको नामावली प्रत्येक गाउँ विकास समितिले पौष महिनाको दोस्रो हप्ता भित्रमा गाउँ विकास समितिमा प्रकाशित गरि उक्त नामावली जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्तानुसार गा.वि.स.बाट प्राप्त नामावलीको आधारमा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको मूल अभिलेख जि.वि.स. ले तयार गर्नुपर्नेमा जिविसले भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामको मूल अभिलेख तयार गरेको पाइएन । नामनामेसी सहितको मूल अभिलेख वेगर संख्याको आधारमा मात्र निकास दिई सोही आधारमा भरपाई भिडान गरी पेशकी फछ्यौट गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले नै भुक्तानी पाएको छ, दोहोरो भुक्तानी भएको छैन, भनी यकिन गर्न सक्ने आधार हुँदैन । कार्यालयले गाविस बाट भत्ता | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|-----|--------------|-----|
| | | पाउने व्याक्तिको नामावली सहितको विवरण लिई मुल अभिलेख खडा गरी पेशकी फछ्यौट गर्दा भरपाई र नामावली किटान गरेर मात्र फछ्यौट गर्नु पर्दछ । | | | |
| ५८.७. | | <p>सामाजिक सुरक्षा भत्ता नियमित गर्न जिल्ला विकास समितिले सामाजिक सुरक्षा शाखा खडा गरी सो शाखामा भत्ता पाउनेको लगत राख्ने तथा भत्ता वितरण गर्दा नियमानुसार भएको छ छैन परीक्षण हुने गरी जिम्मेवारी तोकी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कार्यलयले सामाजिक सुरक्षा शाखा खडा गरी कुनै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाई काम तोकिएको पाइएन । यसले गर्दा नमुना छनौटमा परेका गाउ विकास समितिको निकास र लगत र भरपाइ परीक्षण गर्दा निम्नानुसार देखियो ।</p> <p>(क) लह गाविस</p> <p>१ एकै व्यक्तिलाई दोहोरो भूक्तानी दिएका ४ जना</p> <p>२ लागतमा नाम नभएकालाई भत्ता वितरण गरेको: जेष्ठ नागरिक: १६ जना एकल महिला: ८ जना, पूर्ण अपाङ्ग: ७ जना</p> <p>३ परिचयपत्र नम्बर फरक परेका: ३ जना</p> <p>४ बालपोषण उमेर नाघेका बालवालीकालाई पोषण भत्ता वितरण गरेको ९ जना</p> <p>(ख) मजकोट गाविस</p> <p>१ एकै व्यक्तिलाई दोहोरो भूक्तानी दिएका: ५ जना</p> <p>२ लागतमा नाम नभएकालाई भत्ता वितरण गरेको: जेष्ठ नागरिक: ९ जना एकल महिला: ३१ जना पूर्ण अपाङ्ग: २ जना</p> <p>३ परिचयपत्र नम्बर फरक परेका: ९ जना</p> <p>४ बालपोषण: उमेर नाघेका बालवालीकालाई पोषण भत्ता वितरण गरेको ७ जना लागतमा नाम नभएका बालवालिक ५ जना</p> <p>(ग) जगतिपु गाविस</p> <p>१ एकै व्यक्तिलाई दोहोरो भूक्तानी दिएका: ७ जना</p> <p>२ लागतमा नाम नभएकालाई भत्ता वितरण गरेको जेष्ठ नागरिक: ४६ जना</p> | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|-------|----|---------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| | | एकल महिला: ९ जना ३ लगतमा भएको परिचयपत्र नम्बर र भरपाईमा प्र.प. नम्बर सबैको नभिडेको ४ वालपोषण: लगतमा नभएका ११ जना | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५८.८. | | यस प्रकार को कैफियत देखिएको अवस्थामा वास्तविक भत्ता खर्च यथाथपरक छ भनी भनि विश्वस्त हुने स्थिति रहेन । उपरोक्तानसारका ३ गाविसका व्यहोराहरु अन्य गाउविकास समितिमा पनि हुन सक्ने सम्भावना देखियो । यस्तो कार्यले भत्ता वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीवाट सरकारी रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग हुनसक्ने देखिएको छ । कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गरी पारदर्शी र यथार्थ परक ढंगवाट भत्ता वितरण भएको छ छैन सबै गाविसको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको छानविन गर्नुपर्दछ । लेखापरीक्षणवाट कैफियत देखिएका व्यहोरा लगायत का भत्ता वितरणमा भएका अन्य अनियमित व्यहोरा समेतको छानविन गर्नुपर्ने निम्नानुसार गाविसको भूक्तानी रु. | १,१६,८८,१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>गाविस कोनाम</th> <th>पहिलो किस्ता</th> <th>दोश्रो किस्ता</th> <th>तश्रो किस्ता</th> <th>जम्मा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लह</td> <td>१०४३६००</td> <td>३७९६००</td> <td>६२३६००</td> <td>२०३८८००</td> </tr> <tr> <td>मजकोट</td> <td>१७२२४००</td> <td>१५८७२००</td> <td>१६०८०००</td> <td>४९१७६००</td> </tr> <tr> <td>जगतीपुर</td> <td>१७३४०००</td> <td>१४६८८००</td> <td>१६२८९००</td> <td>४७३१७००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>४५०००००</td> <td>३४२७६००</td> <td>३८६०५००</td> <td>११६८८१००</td> </tr> </tbody> </table> | गाविस कोनाम | पहिलो किस्ता | दोश्रो किस्ता | तश्रो किस्ता | जम्मा | लह | १०४३६०० | ३७९६०० | ६२३६०० | २०३८८०० | मजकोट | १७२२४०० | १५८७२०० | १६०८००० | ४९१७६०० | जगतीपुर | १७३४००० | १४६८८०० | १६२८९०० | ४७३१७०० | जम्मा | ४५००००० | ३४२७६०० | ३८६०५०० | ११६८८१०० | | | |
| गाविस कोनाम | पहिलो किस्ता | दोश्रो किस्ता | तश्रो किस्ता | जम्मा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लह | १०४३६०० | ३७९६०० | ६२३६०० | २०३८८०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| मजकोट | १७२२४०० | १५८७२०० | १६०८००० | ४९१७६०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जगतीपुर | १७३४००० | १४६८८०० | १६२८९०० | ४७३१७०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| जम्मा | ४५००००० | ३४२७६०० | ३८६०५०० | ११६८८१०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| छठ | | पेशकी बाँकी सम्बन्धमा – स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १९२(१) मा पेशकी लिनु पर्दा कुन कामको लागि के कति रकम चाहिने हो सोको विवरण पेश गर्नुपर्ने, नियम १९२(२) मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित कामको लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी नहुने गरी पेशकी लिने कर्मचारीको हकमा पद र प्रयोजन तथा गैर कर्मचारीको हकमा त्यस्तो व्यक्तिको तीन पुस्ते, स्थायी र अस्थायी ठेगाना समेत स्पष्ट लेखी पेशकी दिनुपर्ने, नियम १९२(३) मा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको कार्यविधि अपनाई फछ्यौट गर्ने वा गराउने पेशकी लिने दिने दुवैको कर्तव्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम १९५(२) मा पेशकी दिनुपर्ने ठेक्का कबुलियतनामा गर्दा काम तामेल हुनुपर्ने भनी तोकिएको म्यादभित्र काम तामेल नभई पेशकी बाँकी रहन गएमा त्यस्तो पेशकी रकमको म्याद नाघेको मितिदेखि बार्षिक दश प्रतिशतका दरले साँवा र व्याज समेत बुझाउनु पर्ने कुरा कबुलियतनामाको शर्तमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----|
| | | नियमावलीको प्रावधान पूरा नगरी निम्न संघ संस्था, व्यक्तिहरुलाई निम्न बजेट शीर्षकका कार्यक्रमहरुबाट निम्नानुसार पेशकी दिएको पाइयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा फछ्यौट नभई बाँकी रहेको पेशकी रकम नियमानुसार फछ्यौट गर्नुपर्ने रु. | | | | | १६१४७७८१/- | |
| | | व.उ.शि.नं. | पेशकी मिति | पेशकी लिनेको नाम | पेशकी प्रयोजन | पेशकी वांकी रकम | | |
| | | ३३३११२७३ | ४७-०७/१०/९ | यो.स.पवन कुमार शाह | अनुगमन | ३४५००.०० | | |
| | | | ७६-०७/१०/२३ | लेखा स.भुवन कुमार लोहार | | ५००००.०० | | |
| | | | १८६-०७२/१/१९ | मुग्रा खोला सिचाई उ.स. | | ८४७०० | | |
| | | | १८३-०७२/१/८ | खलंगा गाविसको कार्यालय | | १८७००० | | |
| | | | १८३-०७२/१/८ | लह गाविसको कार्यालय | | २७००० | | |
| | | ३६५८०४४ | | जाजया खानेपानी उपभोक्ता समिति | | १८०००० | | |
| | | ३६५८०९४ | | चोत्रेनी भो.पु. रोकायगाउ | | २००००० | | |
| | | | | जुर्के भो.पु. | | १५०००० | | |
| | | | | सिवालय भो.पु. | | ३००००० | | |
| | | | | यस के इन्जिनियरिङ | | १६१०००० | | |
| | | ३३५८०८४ | | वाटुले अर्छानी गाविस जोडने सडक नि.उ.स. | | १६५००० | | |
| | | | | वाटुले टालेगाउ गाविस जोडने सडक नि.उ.स. | | १६५००० | | |
| | | ३६५८३७४ | | जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय सुर्खेत | | ३९५००० | | |
| | | ३६५८१९३ | ११२-०७२/३/२० | सूचना अ.गंगवहादुर रोकाय | | ३००००० | | |
| | | ३६५०१५३ | | गाविसको कार्यालय खलंगा | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | २५२०० | | |
| | | | | गाविसको कार्यालय साल्म | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | २९०८०० | | |
| | | | | गाविसको कार्यालय सुवानउली | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | १९४००० | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|-------|---------------------------------|------------------------|--------|--------------|-----|
| | | | गाविसको कार्यालय पजारु | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | १६०० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय मजकोट | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ५७४०० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय कोर्तड | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ७२०० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय अछ्नी | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ३२८०० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय लहं | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | १८६००० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय भगवती | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | १०४००० | | |
| | | | गाविसको कार्यालय रामीडाडा | सामाजिक सुरक्षा भत्ता | ४००० | | |
| | ३६५८५०३ | | अयारी लघुजलविद्युत कुलो नि.उ.स. | जलविद्युत कुलो निर्माण | ३४६०८१ | | |
| | | | मेलखोला खा.पा.मर्मत उ.स. | खानेपानी मर्मत | ७५००० | | |
| | | | सिमखेत पिपलचौर सिंचाई उ.स. | सिंचाई कुलो निर्माण | ३००००० | | |
| | | | बाटुल्ले टापुचौर सडक उ.स. | सडक निर्माण | ५००००० | | |
| | | | भाप्रा थलह मझाइना सडक | सडक निर्माण | २१५००० | | |
| | घटछडडडड | | ज्यामितरा बडाउल सि.कु. | सिंचाई निर्माण | ५४०००० | | |
| | | | रजेना सियो | सिंचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | तिमिलतरा छायँक्षेत्र सियो | सिंचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | दुलेपोखरी सियो | सिंचाई निर्माण | ९५०००० | | |
| | | | लम्तीखोला आमचौर सियो | सिंचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | कुसेनी मैदे कुलो | सिंचाई निर्माण | ५००००० | | |
| | | | चिउरीखेत पोखरी सियो | सिंचाई निर्माण | ४४५००० | | |
| | | | चिफलगौडा सियो | सिंचाई निर्माण | ४५०००० | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम | |
|--------|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-----|--|
| | | | | बडाखोला गोठी | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | सेरीखेत साना सियो | सिचाई निर्माण | ३५०००० | | |
| | | | | छहराखोला पोखरी सियो | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | भेरीखोला चाकेखोला सियो | सिचाई निर्माण | ७५०००० | | |
| | | | | रिटाखोला चौर सियो | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | बल्याखोला गगन पानी सियो | सिचाई निर्माण | ७५०००० | | |
| | | | | साटा अखिन वीराखोला सियो | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | घट्टेखोला सियो | सिचाई निर्माण | ३००००० | | |
| | | | | फड्का भुमे सियो | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | मछेना खोला लघु ज.वि.आ. | सिचाई निर्माण | ४५०००० | | |
| | | | | ओखती कुलो सियो | कुलो निर्माण | ४५०००० | | |
| | ३६५८०१३ | | | नासु श्री भद्र वहादुर शाही | गोष्ठी संचालन | १००००० | | |
| | | | | बाटुले टापुचौर सडक उ.स. | सडक निर्माण | १८०००० | | |
| | | | | सानाखोला देशीपाटा सुयाडा सडक नि.उ.स. | सडक निर्माण | १४५५०० | | |
| | | | | | जम्मा | १६१४७७८९/- | | |
| टण | | बेरुजुको लगत र अनुगमन लेखापरीक्षण : | | | | | | |
| ६०.१. | | बेरुजु फछ्यौटको कार्यवाही : स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४को नियम २०५(१)मा आन्तरिक लेखा परिक्षण वा अन्तिम लेखा परिक्षणबाट देखिएका बेरुजु लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालय बाट लेखि आए पछि म्याद तोकिएकोमा म्याद भित्र र नतोकिएकोमा ३५ दिन भित्र फछ्यौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको आ.व. ०७०/०७१ सम्मको बेरुजु रु. फछ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । बेरुजु फछ्यौट नहुनमा प्रमाणहरु संकलन गर्न बाँकी रहेको कारण रहेको देखिन्छ । बेरुजु फछ्यौट नहुँदा आर्थिक अनुशासन पालानामा कमी हुने देखिन्छ । नियममा व्यवस्था भए अनुसार समयमा बेरुजु फछ्यौट हुनु पर्दछ । | | | | | | |

| सि.नं. | गो.भा.नं.मिति | विवरण | | | | रकम | फछ्यौट विवरण | रकम |
|--------|---------------|---|------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----|
| ६०.२. | | सम्परिक्षण : यस कार्यालयको गत विगत वर्षको फछ्यौट हुन बाँकी वेरुजु फछ्यौट गरी सम्परिक्षणको लागि पेश भएको छ । फछ्यौट गरेको फाँटवारी परीक्षण गर्दा मनासीव देखिएकोले निम्नानुसारको वेरुजु सम्परिक्षण गरिएको छ । | | | | | | |
| | आ.व. | ब.शि.नं. | वेरुजु दफा | वेरुजुको व्यहोरा | वेरुजु फछ्यौट को विवरण | रकम | | |
| | २०७०/२०७१ | ३६५८०९४ | | बढी भुक्तानी भएको | दाखिला तथा प्रमाण | ३१८९२९.०० | | |
| | २०७०/२०७१ | ३६५८१९३ | | प.फ.नभएको | प्रमाण पेश भएको | १००००.०० | | |
| | २०७०/२०७१ | जिल्ला उर्जा कोष | | पे.फ.नभएको | प्रमाण पेश भएको | ५०००००.०० | | |
| | २०७०/२०७१ | ४३९८०१३ | | पे.फ.नभएको | प्रमाण पेश भएको | १९८०००.०० | | |
| | २०६५/६६ | ९५।४।९८० | | बढी भुक्तानी | प्रमाण तथा दाखिला | १३१२.५० | | |
| | २०७०/२०७१ | जिविस कोष | | रकम ट्रान्सफर नभएको | ट्रान्सफर गरेको प्रमाण | २०१०५८.७९ | | |
| | २०७०/२०७१ | जिविस कोष | | पे.फ.नभएको | प्रमाण पेश भएको | १३५०००.०० | | |
| | २०७०/२०७१ | सडक बोर्ड | | संभौता पेश नभएको | संभौता पेश भएको | ६७२२८१.०० | | |
| | | | | | जम्मा | २०३६५८१.२९ | | |